राज्य निर्वाचन आयोग,उत्तर प्रदेश

पंचायत निर्वाचन–2010

पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु

निर्देश–पुस्तिका

राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय)

उत्तर प्रदेश

पी0सी0एफ0 भवन,

32–स्टेशन रोड, लखनऊ।

भाग–1

विषय सूची

क्र0 सं0/	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	4–5
1	निर्वाचन संचालन के लिए विधिक/प्रशासनिक व्यवस्था	6–7
2	पंचायत निर्वाचन से संबंधित आवश्यक निर्देश	8–10
3	पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें	11–13
4	मतदान दल का प्रशिक्षण	14
5	मतदान सामग्री की व्यवस्था	15–16
6	मतपत्र की जॉंच	17–18
7	मतदान स्थल की स्थापना	19–20
8	मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन	21–22
9	मतदान स्थल में प्रवेश पर नियंत्रण तथा उसके आस–पास की व्यवस्था।	23–25
10	मतपेटी तैयार करना तथा सील बन्द करना	26–27
11	मतदान	28–30
12	मतदाता के पहचान के संबंध में आपत्ति	31–32
13	निविदत्त मतपत्र	33
14	अंधे या अशक्त निर्वाचकों को सहायक/साथी उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया	34
15	आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही–मतदान स्थगित करना	35–37
16	मतपत्र लेखा तैयार करना	38–40
17	पीठासीन अधिकारी की डायरी	41
18	विभिन्न मतपत्रों को तैयार करना तथा लिफाफों को सील करना	42–44

भाग–2

परिशिष्ट

1	मतदान स्थल की आन्तरिक व्यवस्था	45
1–क	चार स्थानों के लिए मतदान की आन्तरिक व्यवस्था	46
2	अपेक्षित निर्वाचन सामग्री का विवरण	47–50
3	प्रधान पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रारूप	51
4	मतपत्र का प्रारूप	52
5	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप	53
6	पीठासीन अधिकारी की डायरी	54–55
7	अन्धे और विकलांग मतदाताओं की सूची का प्रारूप	56
7–क	सहायक/साथी की घोषणा का प्रारूप	57
8	निक्षेप धनराशि की रसीद	58
9	आपत्तिकृत मतों की सूची का प्रारूप	59
10	निविदत्त मतों की सूची का प्रारूप	60
11	मतपत्र लेखा	61
12	उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के सुसंगत प्रावधानों का उद्धरण	62–70

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम,1947 यथा संशोधित 1994 के अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों तथा उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली,1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम,1961 यथा संशोधित, 1994 के अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली,1994 के अन्तर्गत पंचायतों के विभिन्न पदों यथा सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) के नियुक्ति की व्यवस्था है। मतदान के संचालन में पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की सफलता मुख्य रूप से किसी मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) की अध्यक्षाता में मतदान स्थल पर उचित एवं सुचारू रूप से मतदान सम्पन्न कराने हेतु की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। मतदान अध्यक्ष को प्रभाराधीन मतदान स्थल पर की जाने वाली कार्यवाही की पूर्ण विधिक शक्ति प्राप्त है। अपने मतदान स्थल पर शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराना उसका प्रथम कर्तव्य है। इस प्रयोजन के लिये आवश्यक है कि उसे विधि, मतदान प्रक्रिया और निर्वाचन के संचालन के सम्बन्ध में आयोग के सुसंगत आदेशों और निर्देशों की पूर्ण जानकारी हो जिससे वह तदनुरूप व्यवस्थित ढंग से कार्य कर सकें और शान्तिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सम्पन्न करा सकें। पीठासीन अधिकारी की कार्यकुशलता ही निर्वाचन में मतदान की पवित्रता को बनाये रखने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है।

मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) को शान्तिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान किये गए हैं। मतदान की अवधि में विवादित मामलों में उसका निर्णय अन्तिम होता है, किसी निर्वाचक की पहचान के सम्बन्ध में उसका संतुष्ट होना आवश्यक है। पीठासीन अधिकारी में उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति निहित है जिसका साक्ष्य जॉच में लिया गया है। किसी अन्य व्यक्ति की जगह मत देने वाले व्यक्ति को वहॉ तैनात पुलिस बल को सौंपने का उसे अधिकार प्राप्त है। पीठासीन अधिकारी के आदेश से पुलिस बल मतदान स्थल में प्रवेश कर सकता है। पीठासीन अधिकारी को मतदान स्थल पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित शक्तियॉ प्राप्त हैं।

इन अधिकारों तथा शक्तियों के साथ अपने दायित्व एवं कर्तव्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु इस निर्देश पुस्तिका में विभिन्न विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) को उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास किया गया है। इस निर्देश

पुस्तिका में पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों तथा दायित्वों के सम्बन्ध में विधिक उपबन्ध व विस्तृत दिशा निर्देश विभिन्न अध्यायों एवं परिशिष्टों में दिये गये हैं।

मुझे आशा एवं विश्वास है कि निर्देश पुस्तिका पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों तथा चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अन्य अधिकारियों और कर्मियों के लिये अत्यन्त उपयोगी एवं मार्ग दर्शक सिद्ध होगी।

दिनांक जनवरी, 2010

राजेन्द्र भौनवाल,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
पंचायत एवं स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

निर्वाचन संचालन के लिए विधिक/प्रशासनिक व्यवस्था

देश में पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़, सक्षम और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से संविधान के 73 वें संशोधन के लागू होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम,1994 (अधिनियम संख्या–9, वर्ष 1994) प्रभावी हुआ। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या–1860/33–3–76$^{जी}$/94, दिनांक 23 अप्रैल,1994 के द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–ट के उपबन्ध (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और ग्राम पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया।

उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम,1947 (यथा संशोधित) की धारा–12–(ख ख) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम,1961 (यथा संशोधित) की धारा–264–ख (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष–1995, वर्ष–2000 तथा वर्ष–2005 में उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रथम, द्वितीय व तृतीय सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये गये और तब से निरन्तर समय–समय पर उप निर्वाचन भी कराये जा रहे हैं।

त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन से सम्बंधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम,1947 (यथा संशोधित) तथा उसके अधीन बनायी गई उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों तथा उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली,1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) और उसके अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली,1994 में क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के संचालन हेतु व्यापक प्रावधान हैं।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–9, वर्ष 1994) और उसके अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों तथा उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली,1994 के नियम 3(2) एवं 4 (1) तथा नियम 5(1) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या–471/रा0नि0आ0–3/1994, दिनांक 5 सितम्बर,1994 द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों को अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्राधिकृत किया जा चुका है। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या– 472/ रा0नि0आ0/94, दिनांक 5 सितम्बर,1994 द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम,1961 (यथा संशोधित) और उसके अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन)

नियमावली,1994 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम 4(1), 5(1) तथा 6(1) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को अपने जिले की क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में विभिन्न स्तरों के प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने सम्बन्धी संशोधित आदेश संख्या–115/रा0नि0आ0/अनु0–3/एम–के–30/2005,दिनांक 13 जनवरी, 2005 आयोग द्वारा जारी किया गया है। उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त पंचायतों के त्रिस्तरीय निर्वाचनों में मतदान अध्यक्ष और मतदान अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

किसी मतदान स्थल के लिए नियुक्त मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) अपनी मतदान टोली का प्रभारी होता है। यदि एक मतदान अधिकारी समय से ड्यूटी पर न पहुँचे अथवा गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाने के कारण कार्य करने की स्थिति में न रहे तो मतदान अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि वह मतदान टोली के प्रस्थान करने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से उपलब्ध आरक्षित (रिजर्व) स्टाफ में से उक्त मतदान अधिकारी का प्रतिस्थानी नियुक्त करवा लें। यदि मतदान स्थल पर कोई मतदान अधिकारी गंभीर अस्वस्थता या अन्य किसी अपरिहार्य कारण से कार्य करने की स्थिति में न रहे तो आपात व्यवस्था के तौर पर मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) उपलब्ध किसी उपयुक्त व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, परन्तु ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जायेगी जो पंचायत निर्वाचन से सम्बंधित किसी अभ्यर्थी की ओर से कोई कार्य कर रहा हो।

पंचायत निर्वाचन से सम्बन्धित निर्देश

राज्य में पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में चुनाव की आवश्यक बातें जानना अत्यन्त आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं :–

1– प्रत्येक मतदाता अपनी ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्य के साथ–साथ ग्राम पंचायत के प्रधान तथा अपने क्षेत्र पंचायत के वार्ड के सदस्य एवं जिला पंचायत के वार्ड के सदस्य को सीधे निर्वाचित करेगा। चूँकि निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होता है, अतः किसी भी प्रत्याशी को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिह्न नहीं दिया जायेगा। एक मतदान स्थल में मतदाताओं की संख्या 500–600 के लगभग रहेगी। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में तदनुसार ही मतदान स्थल निर्धारित रहेंगे। एक मतदान स्थल पर किसी ग्राम पंचायत के एक से अधिक वार्डों के मतदाता सम्बद्ध हो सकते हैं किन्तु यथा सम्भव ग्राम पंचायत का प्रत्येक वार्ड पूरी तरह एक ही मतदान स्थल से सम्बद्ध रहेगा। किसी वार्ड का एक भाग मतदान स्थल के अन्तर्गत और शेष भाग दूसरे मतदान स्थल के अन्तर्गत नहीं रहेगा। यदि अपरिहार्य परिस्थिति में वार्डों को तोड़ा जाता है तो एक ही परिवार के सदस्यों को दो मतदान स्थलों पर कदापि न तोड़ा जाए, अर्थात् एक परिवार को एक ही मतदान स्थल पर रखा जाएगा।

2– निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार करायी गयी मतदाता सूची(निर्वाचक नामावली) के आधार पर होगा। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है।

3– मतदाताओं को अलग–अलग मतपत्रों की पहचान कराने तथा मतपत्रों की गणना की सुविधा के लिए मतपत्र निम्नलिखित रंगों के रहेंगेः–

(1) ग्राम पंचायत सदस्य के लिए–	सफेद
(2) प्रधान के लिए–	हरा
(3) क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए–	नीला
(4) जिला पंचायत सदस्य के लिए–	गुलाबी

4– ग्राम पंचायतों के वार्डों सहित निर्वाचन क्षेत्र की संख्या अत्यधिक होने के कारण मतपत्रों पर प्रत्याशियों के नाम मुद्रित कराना सम्भव नहीं है। अतः इन निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में प्रत्याशियों के नाम मतपत्रों पर मुद्रित नहीं होंगे।

5– एक व दो स्थानों/पदों का निर्वाचन होने की स्थिति में केवल एक बड़ी मतपेटी दी जायेगी। किन्तु दो से अधिक पदों/स्थानों के निर्वाचन होने की स्थिति में दो बड़ी मतपेटिका दी जायेंगी।

6– ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रतीक अलग–अलग रहेंगे। चुनाव चिह्न जिस क्रम में दर्शाये गये हैं, उसी क्रम में मुद्रित रहेंगे। मतपत्रों पर चुनाव चिह्न तथा प्रत्याशियों की सूची पर प्रत्याशियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के अक्षर के क्रमानुसार लिखे जायेंगे। अतः प्रत्याशियों को वर्णक्रम में उनके नाम के अनुसार चुनाव चिह्न आवंटित होंगे तथा उन्हें चुनाव चिह्न के चयन करने की छूट नहीं रहेगी।

7– मतदान स्थल पर उपयुक्त दृष्टव्य स्थान पर निर्वाचक नामावली की एक प्रति मतदाताओं के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की जायेगी।

8– प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) पर मतपत्र का नम्बर अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लिये जायेंगे।

9– मतपत्र के पीछे रबर की सुभेदक सील लगाई जायेगी और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के मतपत्र के पीछे सुभेदक सील में "वार्ड क्रमांक" उक्त ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचन से सम्बंधित मतपत्रों में भरा जायेगा। अन्य प्रविष्टियॉं सील में पूर्व से ही अंकित होंगी।

10– मतदान स्थल के नम्बर विकास खण्डवार होंगे न कि जिलेवार। क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के नम्बर (क्रमांक) भी विकास खण्डवार रहेंगे। केवल जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के नम्बर सिलसिलेवार जिले के लिए रहेंगे।

11– मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जानी चाहिए। यदि बांये हाथ की तर्जनी उंगली न हो तो बायें हाथ की क्रमशः मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा अथवा अंगुष्ठ पर अमिट स्याही लगायी जानी चाहिए। यदि बायें हाथ की कोई उंगली व अंगूठा न हो तो उक्तानुसार दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा अथवा अंगुष्ठ पर अमिट स्याही लगायी जाएगी। इसी प्रकार यदि दोनों हाथों में उंगलियॉं व अंगूठा न हों तो बायें पैर और बायां पैर न हो तो दाहिने पैर की उंगलियों अथवा अंगुष्ठ पर उक्तानुसार निर्धारित वरीयता क्रम में अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि हाथ व पैर में उंगलियॉं व अंगुष्ठ न हों तो शरीर के किसी सहज दृष्टव्य स्थान पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन एक साथ कराए जाने की स्थिति में मतदाता को पहले ग्राम पंचायत सदस्य तथा प्रधान पद के प्रत्याशियों से सम्बन्धित दो मतपत्र दिये जायेंगे। तत्पश्चात् क्षेत्र पंचायत सदस्य

तथा जिला पंचायत सदस्य से सम्बन्धित दो मतपत्र दिये जायेंगे, जो उक्त निर्वाचनों के लिए निर्धारित दो अलग–अलग मतपेटी में डाले जायेंगे।

12– दो स्थानों के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में मतदान स्थल के अन्दर की व्यवस्था परिशिष्ट–1 के अनुसार होगी तथा 4 स्थानों के निर्वाचन में मतदान स्थल के अन्दर की व्यवस्था परिशिष्ट–1 क के अनुसार होगी।

13– मतांकन, मतदान अधिकारी द्वारा दिये गये रबर सील से किया जायेगा जैसा कि विगत पंचायत सामान्य निर्वाचन में किया गया था।

14– मतदान स्थल पर प्रत्याशी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं, किन्तु मतदान स्थल के अन्दर एक समय में उनमें से केवल एक व्यक्ति ही रहेगा। कोई मतदान अभिकर्ता एक से अधिक प्रत्याशी का अभिकर्ता नहीं हो सकता है। यदि प्रत्याशी या उसके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता के बैठने के लिए कुर्सियॉं या बेन्चें न हों तो दरी की व्यवस्था की जा सकती है।

15– मतदान का समय सामान्यतः प्रातः 8.00 बजे से सायं 5 बजे तक अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट समयानुसार होगा।

16– मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् मतों की गणना निर्धारित दिनांक, समय तथा स्थान पर की जायेगी।

पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें

मतदान स्थल पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना पीठासीन अधिकारी का परम कर्तव्य है। इसके लिए उसे सभी आवश्यक अधिकार प्रदान किये गये हैं। अपने अधिकारों और कर्तव्यों को ठीक प्रकार से समझने के लिये इस निर्देश पुस्तिका का सावधानी से अध्ययन करना परम आवश्यक है।

पीठासीन अधिकारी के विभिन्न कर्तव्यों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

1–नियुक्ति का आदेश प्राप्त होते ही जिस मतदान स्थल के लिये पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की गई है, उसकी स्थिति तथा वहॉं पहुँचने के मार्ग की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। नियुक्ति आदेश से उसे अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों की भी जानकारी मिल जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान उनसे वह सीधे सम्पर्क और परिचय प्राप्त करें।

2– मतदान के लिये आयोजित प्रशिक्षण बैठक में पूरी जिज्ञासा और जागरूकता के साथ भाग लें तथा अपनी शंका और समस्या का समाधान सम्बन्धित अधिकारी से करा लें।

3– प्राप्त मतदान सामग्री और मतपेटिका का मिलान परिशिष्ट–2 से कर लें ताकि कोई वस्तु/सामग्री छूटने न पाये।

4– मतदान स्थल पर पहुँचने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी को सब कुछ ठीक होने की स्थिति में प्राप्त सामग्री का निरीक्षण करना चाहिए। यदि किसी प्रकार की सामग्री या सूची की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त करने के लिये तुरन्त आवश्यक सूचना निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट व अन्य सम्बन्धित अधिकारी को भेजना चाहिये।

5– मतदान स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से रूपरेखा बना लें ताकि मतदान स्थल के अन्दर या बाहर भीड़ जमा न हो सके। मतदाताओं की कतारें ठीक से बनवा ली जायें जिससे मतदान की कार्यवाही, गोपनीयता का निर्वाह करते हुये सुचारू रूप से चल सके। मतदान स्थल के अन्दर अनावश्यक भीड़ न हो, इसके सम्बन्ध में अपने सहयोगियों से भी परामर्श लें और आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार पुलिस की भी सहायता प्राप्त करें।

6– मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार मतपत्रों के पीछे सुभेदक सील लगाकर तथा वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भर कर स्थिति के अनुसार उन्हें तैयार कर लेना

चाहिये और आवश्यकतानुसार उन पर अपने हस्ताक्षर करते जाना चाहिये। पीठासीन अधिकारी को हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे करने हैं, प्रतिपर्ण के पीछे नहीं। ऐसी तैयारी कर लेने से मतदान समय से प्रारम्भ हो सकेगा और मतदान कार्य भी गतिपूर्वक चल सकेगा। चार स्थानों/पदों के लिए निर्वाचन के साथ दो सुभेदक सीलों में से एक ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम प्रधान के मतपत्रों पर लगाने के लिये है जबकि दूसरी सील क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्यों के मतपत्रों पर उपयोग के लिये है।

7– चार स्थानों/पदों के निर्वाचन की स्थिति में मतदान स्थल पर उपयोग के लिये पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावली की पॉच प्रति दी जायेगी। एक या दो पदों/स्थानों के निर्वाचन की स्थिति में 4 प्रतियॉ ही दी जायेंगी। एक पीठासीन अधिकारी के पास, एक मतदान अधिकारी क्रमांक एक के पास तथा एक–एक प्रति मतदान अधिकारी क्रमांक दो एवं क्रमांक तीन के पास रहेगी। पॉचवी प्रति किसी उपयुक्त दृष्टव्य स्थान पर मतदाताओं के अवलोकनार्थ लगायी जाये ताकि कोई भी मतदाता अपना नाम उससे ज्ञात कर क्रमांक याद रख सके। मतदान अधिकारी (1) मतदाता सूची से मतदाता का नाम और क्रमांक जोर से बोलेगा। मतदान अधिकारी (1) को यह आश्वस्त हो लेना चाहिये कि मतदाता वही व्यक्ति है, जो वह होने का दावा करता है। मतदाता द्वारा लायी गयी पहचान पर्ची मात्र के आधार पर उसे वही मतदाता मानकर मतपत्र नहीं दिया जाना चाहिये। उसकी पहचान स्थापित होने पर मतदाता सूची में उसके नाम के नीचे एक रेखा खींच दें और यदि महिला है तो नाम के प्रारम्भ में सही का निशान भी लगा दें। तत्पश्चात् वह मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी (अध्याय–2 के बिन्दु–11 के अनुसार) में अमिट स्याही लगाकर उसे मतदान अधिकारी (2) के पास भेजेगा। मतदान अधिकारी (1) के द्वारा उपयोग में लाई गई यह सूची "मतदाता सूची की चिह्नित प्रति" कहलायेगी। मतदान अधिकारी (2) उसके बाद सूची में अंकित क्रमांक, ग्राम पंचायत सदस्य तथा प्रधान के निर्वाचन के लिए दिये गये मतपत्रों के प्रतिपर्णों में अंकित करेगा और प्रतिपर्णों पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। दो से अधिक स्थान/पदों के निर्वाचन की स्थिति में इसी प्रकार मतदान अधिकारी (3) उसे दी गई मतदाता सूची से मतदाता के क्रमांक का उल्लेख क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र के प्रतिपर्णों पर करेगा और उन पर मतदाता के हस्ताक्षर करायेगा या अंगूठा निशान लेगा।

8– पीठासीन अधिकारी को मतदान शान्तिपूर्ण तथा सुचारू रूप से संचालन के लिए बराबर सजग रहना होगा। इसके लिये उसे कानून के अन्तर्गत महत्वपूर्ण शक्तियॉ प्राप्त हैं। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पीठासीन अधिकारी से व्यवहार कुशलता एवं दृढ़ता के साथ निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है।

9– मतदान का समय समाप्त होने के ठीक पूर्व पीठासीन अधिकारी घोषणा करें कि अब मतदान का समय समाप्त हो रहा है और तत्पश्चात् किसी भी व्यक्ति को कतार में शामिल न होने दें। जो मतदाता समय समाप्त होने से पूर्व कतार में खड़े हों उन समस्त मतदाताओं को कतार के अन्तिम छोर से प्रारम्भ करते हुए स्वहस्ताक्षरित पर्चियों पर क्रमांक डाल कर बॉट दें। मतदान का समय समाप्त होने पर केवल ऐसी पर्चियों वाले मतदाताओं को ही मतदान करने का अवसर दें। इस प्रकार पर्ची प्राप्त मतदाता मतदान करते रहेंगे भले ही मतदान की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो। पर्ची प्राप्त अन्तिम मतदाता के मतदान करने के बाद यथा विधि मतपेटी को सील बन्द करें।

10– मतदान के पश्चात् पीठासीन अधिकारी विभिन्न प्रकार के मतपत्रों के लिए मतपत्र लेखा सावधानी से तैयार करें।

11–पीठासीन अधिकारी की डायरी में प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का अवश्य उल्लेख हो। डायरी तथ्यात्मक होनी चाहिए ताकि उससे घटनाओं की विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी की जा सके।

मतदान दल का प्रशिक्षण

1– त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्येक मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी के साथ तीन मतदान अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। मतदान दल की नियुक्ति करते समय आपके दल के मतदान अधिकारी क्रमांक–1 को, उस स्थिति में जब आप किसी अपरिहार्य कारण से मतदान स्थल से अनुपस्थित रहें, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा। पीठासीन अधिकारी अपने दल के सदस्यों के बीच टीम भावना पैदा करें जिससे दल की कार्यक्षमता बढ़ेगी और उसे अपने दायित्वों के निर्वहन में आसानी होगी।

2– मतदान के लिये आयोजित प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना आवश्यक होगा। मतदान में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को तथा उसके कानूनी विन्दुओं को ठीक प्रकार से समझ लें। मतपेटियों को उपयोग में लाने सम्बन्धी कार्य स्वयं करके देख लें जिससे आगे कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। यदि प्रशिक्षण के दौरान आपने मतपेटी खोलने बन्द करने का कार्य ठीक प्रकार से न सीखा हो तो बाद में कठिनाई होगी।

3– मतपत्र लेखा ठीक से तैयार करने का भली भाँति अभ्यास कर लेना बहुत जरूरी है। इस लिए प्रशिक्षण को गम्भीरता से लेना चाहिए क्योंकि पंचायत सम्बन्धी निर्वाचन की विधि और प्रक्रिया में अनेक ऐसी बातें हैं जो लोक सभा/विधान सभा के चुनावों से भिन्न हैं।

4– प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण में मतदान स्थल पर पहुँचने से पूर्व मतदान दल के प्रत्येक सदस्य को उसके कर्तव्यों एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप से एवं विस्तार से समझायें और कार्य क्षेत्र तथा प्रक्रिया के बारे में उनकी शंकाओं का निवारण किया जाये।

मतदान सामग्री की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में मतदान सामग्री का समय पर उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है। मतदान सामग्री लेते समय उसकी सावधानी से जॉच पड़ताल कर यह सुनिश्चित कर लें कि वह पूरी संख्या/मात्रा में है और प्रत्येक सामग्री सही हालत में है। यदि कोई वस्तु कम हो तो उसे तुरन्त प्राप्त कर लें। यदि कोई वस्तु दोषपूर्ण हो तो उसके स्थान पर दूसरी वस्तु बदलवा लें।

मतदान सामग्री में निम्नलिखित वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं :–

1–मतदाता सूची :– एक साथ चार स्थानों/पदों पर निर्वाचन होने की स्थिति में मतदान स्थल के लिए वार्ड की मतदाता सूची की पॉच प्रतियॉ तथा एक साथ दो स्थानों/पदों के निर्वाचन होने की स्थिति में चार प्रतियॉ, जो हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित होंगी, दी जायेंगी। इनका मिलान सावधानी से कर लें और यह देख लें कि सभी प्रतियों में सभी प्रविष्टियॉ एक जैसी हैं तथा ग्राम पंचायत की मतदाता सूची का जो भाग दिया है, वह उन्हीं भागों से सम्बन्धित है जिनके लिए मतदान स्थल स्थापित किया गया है। मतदाता सूची की यथास्थिति पॉच अथवा चार प्रतियों में से एक प्रति मतदान अधिकारी (1) के पास रहेगी, एक प्रति मतदान अधिकारी (2) के पास, एक प्रति मतदान अधिकारी (3) के पास (दो पदों/स्थानों के निर्वाचन की स्थिति में आवश्यकता नहीं होगी), एक प्रति पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी तथा पॉचवी/चौथी प्रति मतदान स्थल के ठीक बाहर उपयुक्त दृष्टव्य स्थान पर अलग–अलग पन्नों के रूप में चिपका दी जायेगी।

2–सुभेदक सीलें:– प्रत्येक मतपत्र के पीछे सुभेदक सील लगानी होगी और उसमें रिक्तियों को भरना होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों एवं प्रधानों के मतपत्र के लिए एक प्रकार की सुभेदक सील तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र के लिए दूसरे प्रकार की (दोहरे बार्डर वाली) सुभेदक सील दी जायेगी।

3–स्टाम्प पैड तथा अमिट स्याही की शीशी:– मतदान सामग्री लेते समय यह देख लिया जाये कि अमिट स्याही की शीशी में स्याही पर्याप्त मात्रा में है तथा स्टाम्प पैड सूखा तो नहीं है।

4– अभ्यर्थियों की सूचियॉ:– प्रत्येक पद/स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की 3 प्रमाणित सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जायेंगी तथा प्रत्याशियों के नाम हिन्दी में देवनागरी के वर्णक्रम के अनुसार इन सूचियों में अंकित होंगे, तदनुसार ही उनके चुनाव चिह्न भी दर्शाये जायेंगे। मतदान स्थल में पहुँचने पर उनमें से एक प्रति पीठासीन अधिकारी को मतदान स्थल के बाहर सूचना

पटल पर लगानी होगी तथा दूसरी प्रति मतदान स्थल के किसी सहज दृष्टव्य स्थान पर लगाई जायेगी।

5—पेपर सीलें:— जिन मतदान स्थलों में गोदरेज टाइप मतपेटियॉं प्रयोग में लायी जायेंगी, उनमें मतपेटी बन्द करते समय सादा पेपर सीलें लगाई जायेंगी। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उन्हें दी गई पेपर सीलें पर्याप्त संख्या में हैं।

6— घूमते हुए तीरों वाली रबर सीलें :— मतदाताओं को मत अंकित करने के लिये पीठासीन अधिकारी द्वारा घूमते हुए तीरों के चिन्ह वाली 4 रबर सीलें दी जायेंगी, सादे कागज पर इसका ठप्पा लगाकर यह देख लिया जाए कि वह सभी सीलें पूरी और साफ निशान (इम्प्रेशन) बनाती हैं।

7— प्रारूप :— मतदान सम्पन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारी को विभिन्न प्रारूप दिये जायेंगे, उनके विवरण का भी मिलान कर लिया जाये।

8— लिफाफे एवं शीट्स :— विवरण परिशिष्ट—2 में दिया गया है।

9—मतपेटियॉं :— भली भॉंति जॉंच कर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक मतपेटी चालू हालत में है तथा आसानी से खुल जाती है और बन्द हो जाती है। पेटी खोलने और बन्द करने का ठीक से पुनः अभ्यास कर लें। गोदरेज टाइप मतपेटी में पेपर सील लगाने का अभ्यास भी एक सादे कागज के टुकड़े से पुनः कर लें। चूंकि एक मतदान स्थल में लगभग 500—600 मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना चाहिए, अतः सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान के पद हेतु एक तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत के लिए बड़ी दूसरी मतपेटी (कुल दो बड़ी मतपेटियॉं) दी जायेंगी। 500 से अधिक मतदाताओं की स्थिति में दो अन्य बड़ी अथवा चार छोटी अतिरिक्त मतपेटियॉं दी जा सकती हैं। छोटी मतपेटी यू0पी0 टाइप की होगी। बड़ी मतपेटी गोदरेज टाइप की होगी।

10—मतपत्र :— पीठासीन अधिकारी पहले चार स्थानों/पदों के निर्वाचन की स्थिति में या उससे कम स्थानों/पदों के जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार दिये गये मतपत्रों के बारे में यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बंधित निर्वाचक के मतदाता की बायीं तर्जनी (अध्याय—2 के बिन्दु—11 के अनुसार) पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए निर्धारित प्रकार के मतपत्रों की गड्डियॉं उसे मिल गई हैं और उनमें मतपत्रों की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या से कम नहीं है। यह भी देख लिया जाए कि उनके क्रमांक दिए गए विवरणों से मेल खाते हैं। प्रत्येक प्रकार के मतपत्रों की गड्डी के हर मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर मुद्रित क्रमांक का मिलान करके देख लें कि वह एक ही है। इसी प्रकार यह भी देख लिया जाए कि प्रत्येक मतपत्र में चुनाव चिह्न ठीक प्रकार से मुद्रित हैं। क्रमांक ठीक से मेल न खाने या किसी मतपत्र से चुनाव चिह्न ठीक से मुद्रित न होने की

दशा में ऐसे मतपत्र के ऊपर क्रास (X) लाइनें खींच कर उसे रद्द कर दिया जाए और उस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाय।

मतपत्र की जॉच

1– पीठासीन अधिकारी को मतदान के दो–तीन दिन पहले, उनके प्रशिक्षण के समय ही निर्वाचन सामग्री दे दी जायेगी। मतदान दल को मतपेटिकायें तथा मतपत्र मतदान स्थल के लिए रवानगी के दिन दिए जायेंगे। मतपत्रों की जो गड्डियॉ उन्हें दी जायेंगी, उनमें प्रत्याशियों के केवल चुनाव चिह्न मुद्रित रहेंगे परन्तु नाम नहीं होंगे।

2– मतपेटिका तथा मतपत्र वितरण केन्द्र में पहुंचने पर पीठासीन अधिकारी को सर्वप्रथम अपने मतदान स्थल से सम्बन्धित मतपत्रों की गड्डियॉ एक या दो बड़ी आकार की मतपेटी तथा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूचियॉ दी जायेंगी। पंचायतों के सामान्य निर्वाचन में ग्राम पंचायत के सदस्य तथा प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य के पदों के लिए एक साथ निर्वाचन होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी को चार विभिन्न रंगों के मतपत्र दिए जायेंगे।

3– मतपत्र प्राप्त करते समय पीठासीन अधिकारी सावधानी पूर्वक यह देख लें कि मतपत्रों पर सिलसिलेवार क्रमांक अंकित किये गये हैं तथा उसके प्रतिपर्ण पर क्रमांक एक से हैं एवं प्राप्त मतपत्रों की संख्या उस मतदान स्थल पर मतदाताओं की संख्या से कम नहीं है। पंचायत के प्रत्येक स्तर पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची उपलब्ध करायी गई है, उसमें प्रत्येक स्तर पर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम और उनके निर्वाचन प्रतीक अंकित हैं। प्रत्येक सूची में प्रत्याशियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार उल्लिखित रहेंगे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि विभिन्न वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों के लिये जो मतपत्र मिले हैं उनके कम से कम उतने निर्वाचन प्रतीक मुद्रित हैं, जितने कि उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची में दर्ज हैं और प्रत्याशियों को आवंटित प्रतीक मतपत्र पर अवश्य अंकित हैं।

4– ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिये निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–3) में होगी तथा मतपत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–4) में दर्शाये गये चित्र के अनुसार होगा।

5–प्रत्येक पद/स्थान के लिए प्रत्याशियों के अनुसार मतदान स्थल पर सम्बद्ध वार्ड के मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतपत्रों की गड्डियॉ प्राप्त होंगी। सम्बन्धित ग्राम पंचायत

(प्रधान के निर्वाचन क्षेत्र) के लिये मतपत्र की जो गड्डियाँ प्राप्त होंगी, उनमें प्रत्येक मतपत्र में प्रत्याशी का नाम नहीं होगा। परन्तु निर्वाचन प्रतीक उसी क्रम में छपे रहेंगे, जिस क्रम में सूची पर प्रत्याशियों के नाम उल्लिखित हैं।

6– यदि पंचायत निर्वाचन में प्रत्यक्ष निर्वाचन 4 स्थानों/पदों के लिये हो रहा हो तो प्रत्येक मतदाता को 4 मतपत्र दिये जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक मतदान स्थल पर करीब 2000 मतपत्र प्रयोग में लाये जायेंगे। यदि 4 स्थान/पदों से कम का निर्वाचन किया जाता है तो मतपत्रों की संख्या उसी अनुपात से कम हो जाएगी।

मतदान स्थल की स्थापना

पीठासीन अधिकारी तथा उसके मतदान दल के सदस्यों को मतदान स्थल तक पहुँचने और आने की व्यवस्था निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। निर्वाचन के लिये बनाये गये वितरण केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी को अपने मतदान दल के साथ उस दिनांक को पहुँचना होगा, जो उन्हें भेजे गये नियुक्ति आदेश/सूचना पत्र में अंकित हो। सामान्यतः पीठासीन अधिकारी को वितरण केन्द्र में मतदान के दिनांक के 1 या 2 दिन पूर्व बुलाया जायेगा, ताकि वह मतपत्रों की जॉंच का काम पूरा करने के पश्चात् मतदान के दिनांक के एक दिन पहले अपरान्ह 4.00 बजे तक अपने मतदान स्थल पर पहुँच सकें।

2– यदि किसी मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी मतदान के दिनांक के पहले दिन की शाम तक मतदान स्थल पर उपस्थित न हो तो पीठासीन अधिकारी को उसके स्थान पर किसी अन्य मतदान अधिकारी की नियुक्ति कराने की कार्यवाही करनी होगी। ऐसी स्थिति में नियुक्ति की सूचना यथाशीघ्र जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी को दें, तथापि पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त न करें, जो किसी प्रत्याशी का सक्रिय समर्थक हो या किसी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता हो। श्रेयस्कर यह होगा कि पीठासीन अधिकारी सर्वप्रथम दल के अनुपस्थित मतदान अधिकारी के स्थान पर तुरन्त कोई प्रतिस्थानी भेजे जाने का आग्रह अपने क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी से करें।

3– यदि पीठासीन अधिकारी गम्भीर अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य कारणों से अपने कर्तव्य–निर्वहन करने की स्थिति में न हों, तो जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत)/निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहले से प्राधिकृत प्रथम मतदान अधिकारी उसके स्थान पर कार्य करेगा।

4– पीठासीन अधिकारी मतदान स्थल पर अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी काम सौंप सकते हैं।

5– मतदान स्थल पर पहुँच कर सबसे पहले प्रस्तावित मतदान स्थल के भवन का निरीक्षण करें। आदर्श मतदान स्थल का अभिन्यास (LAY OUT) परिशिष्ट–1 व 2 में दिया गया है। स्थल पर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि–

1– पुरूषों और महिलाओं के लिए प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त स्थान हो।

2– मतदाताओं के आने जाने के रास्ते अलग–अलग हों। यदि कक्ष में केवल एक ही प्रवेश द्वार हो तो रस्सी बाँध कर अन्दर जाने और बाहर निकलने के लिए अलग–अलग रास्ते बनाने की व्यवस्था करें।

3– मतदान अभिकर्ताओं के इस प्रकार बैठने की व्यवस्था करें कि जब कोई मतदाता आकर मतदान अधिकारी (1) के सामने खड़ा हो तो वे (अभिकर्तागण) उसका चेहरा देख सकें और यदि मतदाता की पहचान संदिग्ध हो तो उसकी पहचान को चुनौती दे सकें। ऐसी जगह मतदान अधिकारी (1) के पीछे भी हो सकती है।

4– मतदान कक्ष (बूथ) में (जहाँ आकर मतदाता मतपत्र पर चिह्न लगायेगा) इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई यह न जान सके की मतदाता ने किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है।

5– मतदान कक्ष के भीतरी भाग में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए।

6–मतदान स्थल के अन्दर मतदान कक्ष ऐसे स्थानों पर बनाये जाने चाहिए और मतपेटियों को ऐसी जगह रखा जाना चाहिए कि मतदाताओं के आने–जाने में कोई कठिनाई न हो।

7– मतदान स्थल के अन्दर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को, जिसका सम्बन्ध किसी प्रत्याशी के निर्वाचन प्रतीक से जोड़ा जा सके, हटा लें।

प्रत्येक मतदान स्थल के बाहर तथा भीतर निम्नलिखित सूचनायें प्रमुखतः प्रदर्शित की जायेंगीः–

क– ऐसी सूचना जिसमें वह मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया गया हो, जिसके मतदाता उस स्थान पर मत देने के हकदार हों।

ख– निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के नामों की हिन्दी में देवनागरी के वर्णक्रमानुसार तैयार की गई सूची, जिसमें प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया हो।

मतदान स्थल के इर्द–गिर्द 200 मी0 की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं किया जाना चाहिए और न किसी प्रकार की मतदाताओं से मतसंयाचना की जानी चाहिए। मतदान स्थल के चारों ओर 200 मी0 की दूरी दर्शाने वाले मुद्रित पर्चे भी यथास्थान लगा दें।

मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन

मतदान प्रक्रिया के सुव्यवस्थित और दक्षतापूर्ण ढंग से संचालन के लिये विभिन्न मतदान अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाना चाहिएः–

1–मतदान अधिकारी(1)– यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उससे उसका नाम तथा वार्ड की जानकारी प्राप्त करेगा एवं मतदाता सूची की प्रति में उसका नाम ढूँढ़ेगा। नाम मिलने पर वह उसे जोर से पढ़ेगा। मतदान अभिकर्ताओं से आपत्ति नहीं होने पर सूची में उसके नाम को रेखांकित करेगा तथा यदि महिला हो तो उसके नाम के सामने सही का चिन्ह भी लगायेगा। यही अधिकारी मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी अंगुली (अध्याय–2 के बिन्दु–11 के अनुसार) में अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगायेगा कि आधा निशान अंगुली के नाखून तथा आधा अंगुली पर रहे। तदुपरान्त मतदाता मतदान अधिकारी (2) के सम्मुख जायेगा।

2–मतदान अधिकारी (2)– यह अधिकारी मतदाता को दो मतपत्र अर्थात् एक सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु जो कि सफेद रंग का रहेगा तथा दूसरा प्रधान पद हेतु जो हरे रंग का रहेगा, देगा। इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को ग्राम पंचायत सदस्य हेतु उसी वार्ड से सम्बंधित मतपत्र दिया जाये जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। कार्य निष्पादन में सुविधा एवं सुगमता के लिये प्रथम मतदान अधिकारी को चाहिये कि वह कागज के चौकोर टुकड़ों पर वार्डों के क्रमांक लिखकर उन्हें क्रमवार अपनी मेज पर चिपका लें और सम्बंधित वार्ड के मतपत्रों की गड्डियों को इन्हीं के ऊपर रखें। ऐसा करने से सही वार्डों का मतपत्र जारी करने में चूक या त्रुटि की सम्भावना नहीं रहेगी। यह अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का क्रमांक ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिये उसे दिये गये मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। यह अधिकारी इसी प्रकार मतदाता को प्रधान पद के लिये दिये गये मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची का क्रमांक दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। **यदि कोई मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने से या अंगूठा का निशान लगाने से मना करे तो उसे मतपत्र नहीं दिया जायेगा।** प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर कर दिये जाने या अंगूठा निशान लगा दिये जाने के बाद यह अधिकारी मतदाता को मतपत्र मोड़ कर देगा और साथ में मत अंकित करने के लिए रबर सील स्याही लगाकर देगा तथा उसे प्रथम मतदान कक्ष में जाकर मत अंकित करने तथा उसके बाद बीच में मतपेटी क्रमांक–1 में मतपत्र डालने के बारे में समझा देगा। मतपत्र को पहले खड़ा (Vertical) और बाद में पड़ा (Horizontal) करके मोड़ा जायेगा।

लेकिन यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6 या 9 से अधिक अर्थात् 12 या 18 हो तो इस कारण से मतपत्र दो खानों में छपा होगा तब उसे पहले अर्धभागों के बीच से खड़ा मोड़ा जायेगा। तत्पश्चात् दोनों भागों को बांटने वाली छायांकित (खड़ी रेखा) के ऊपर मोड़ा जायेगा। उपर्युक्तानुसार मोड़ने के बाद मतपत्र पुनः खोलकर मतदाता को दिया जायेगा। मतदाता मतदान कक्ष (1) के अन्दर जाकर अपना मत अंकित करेगा और मतपत्र को उसी प्रकार मोड़कर मतपेटी क्रमांक–1 में डालेगा तथा चार पदों/स्थानों पर निर्वाचन की स्थिति में पुनः मतदान अधिकारी (3) के पास जायेगा।

3–मतदान अधिकारी (3)– इस अधिकारी का कार्य मतदान अधिकारी (2) के समान ही है। अन्तर केवल इतना है कि यह अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिये नीले रंग का मतपत्र तथा जिला पंचायत सदस्य के पद के लिये गुलाबी रंग का मतपत्र देगा तथा उनमें प्रत्येक प्रतिपर्ण में मतदाता सूची में अंकित मतदाता का क्रमांक दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। यह अधिकारी मतदाता को यह भी समझा देगा कि वह दूसरे मतदान कक्ष में जाकर अपना मत अंकित करें और मतपेटी क्रमांक–2 में मतपत्र डालें और निकास के लिये इंगित रास्ते से बाहर निकल जायें।

4–मतदान अधिकारी (4)– यह अधिकारी चार पदों/स्थानों पर निर्वाचन की स्थिति में मतदान अधिकारी (4) के रूप में तथा दो पदों/स्थानों के निर्वाचन की स्थिति में मतदान अधिकारी (3) के रूप में कार्य करेगा। इस अधिकारी का कर्तव्य उक्त मतदान अधिकारियों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान है। इसे बीच में रखी मतपेटियों पर सतत निगाह रखनी है और यह देखना है कि मतदाता मत अंकित करने के पश्चात् मतपत्र मतपेटी में ही डाले। यह अधिकारी बीच बीच में पुशर (लोहे/लकड़ी/पलास्टिक की पट्टिका) के द्वारा मतपेटी में डाले गये मतपत्रों को अन्दर भी ढकेलता रहेगा ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। साथ ही यह अधिकारी मतदाताओं को मतदान कक्ष की ओर भेजने , मतपेटी में मतपत्र डलवाने तथा मतदान के पश्चात् शीघ्रता से बाहर निकलने में उनकी सहायता करेगा।

मतदान स्थल में प्रवेश पर नियंत्रण तथा उसके आस पास की व्यवस्था

प्रवेश को नियंत्रित करनाः–

1–(i) पीठासीन अधिकारी को चाहिये कि मतदान स्थल के अन्दर भीड़ न होने दें। इसके लिए पीठासीन अधिकारी स्थल के बाहर लगी कतारों में बारी–बारी से महिला तथा पुरूष मतदाताओं को सीमित संख्या में मतदान स्थल के अन्दर आने की अनुमति दें। निम्नांकित प्रकार के व्यक्तियों को छोड़कर पीठासीन अधिकारी अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान स्थल के अन्दर आने से रोक सकते हैं तथा वहॉ से हटा सकते हैं :–

(1) मतदान अधिकारी (2)– निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर कार्यरत लोक सेवक(3) राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (4) प्रत्याशी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता (5)मतदाता के साथ गोद वाला बच्चा (6) अन्धे या विकलांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला नियमानुसार अधिकृत किया गया एक व्यक्ति (7) ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा आवश्यक पहचान करने हेतु नियोजित किया जाय जिसका स्पष्ट उल्लेख पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी किया जाये।

मतदान स्थल पर तैनात पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी सामान्यतः मतदान स्थल के बाहर ही ड्यूटी पर रहेंगे जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी उन्हें अन्दर न बुलायें।

(ii)– उपर्युक्तानुसार मतदान स्थल में प्रवेश को दृढ़ता से लागू करें अन्यथा वहॉ भीड़ हो जायेगी और व्यवस्था बनाये रखने की समस्या पैदा होगी।

(iii)– यदि पीठासीन अधिकारी को लगे कि मतदान स्थल पर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़ा है और मतदान के सुचारू रूप से संचालन में व्यवधान पैदा कर रहा है तो वह उसे चले जाने के लिए कह सकते हैं। यदि फिर भी वह न जाये तो उसे हटाये जाने के लिये मतदान स्थल पर तैनात पुलिस कर्मी को निर्देश दे सकते हैं।

(iV)–अपने कर्तव्यों के पालन में मतदान दल को केवल राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) के निर्देशों का अनुसरण करना है।

(V)–मतदाताओं को पहचानने के लिए या महिला मतदाताओं की सहायता के लिए ग्राम स्तरीय किसी कर्मचारी या महिला परिचारक को नियोजित कर सकते हैं, परन्तु उसे मतदान स्थल के प्रवेश द्वार से बाहर ही बैठायें और मतदान स्थल के अन्दर तभी बुलायें जब किसी मतदाता विशेष को पहचानने के लिए तलाशी या अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता हो।

2–मतदान स्थल या उसके आस–पास व्यवस्था बनाये रखना–

मतदान के सुचारू रूप से संचालन के लिए मतदान स्थल तथा उसके आस पास शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने तथा वहॉ पर गड़बड़ी या मतदान को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही करेंगे।

3–मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व की प्रक्रिया :–

3–(i)– प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ताओं से मतदान आरम्भ होने के कम से कम 20 मिनट पहले मतदान स्थल पर पहुँचने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि जब मतपेटी तैयार करने की आरम्भिक कार्यवाही चल रही हो तब वे उसे देख सकें। यदि कोई अभिकर्ता समय पर न आये तो उसके लिए प्रतीक्षा करने या आरम्भिक कार्यवाही नये सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii)– प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को वह नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–5) में प्रस्तुत करने को कहें, जिसके द्वारा प्रत्याशी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त किया हो। इस बात को देख लें कि नियुक्ति आपके (पीठासीन अधिकारी) मतदान स्थल के लिए ही की गई है। तत्पश्चात् उसे नियुक्ति पत्र की प्रविष्टियॉ पूर्ण करने और घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने को कहें। प्राप्त नियुक्ति पत्रों को सुरक्षित रखें और मतदान के बाद उन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित लिफाफे में डालें।

(iii) –प्रत्याशियों या उनके अभिकर्ता को मतदान अधिकारी(1) के ठीक पीछे यथा सम्भव बैठायें। यदि प्रवेश द्वार की विशिष्ट स्थिति के कारण ऐसा करने में कोई अड़चन हो तो उन्हें मतदान अधिकारियों के सामने बैठायें। व्यवस्था ऐसी हो कि वे निर्वाचकों के चेहरे देख सकें और आवश्यकता पड़ने पर पहचान के सम्बन्ध में अभ्याक्षेप कर सकें। उन्हें मतदान स्थल में उठकर इधर–उधर चलने से रोकें।

(iV)– मतदान स्थल में किसी को धूम्रपान की अनुमति न दें। यदि कोई मतदान अभिकर्ता धूम्रपान करना चाहे, तो उसे मतदान स्थल से बाहर जाने को कहें।

4–समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों और फोटोग्राफरों द्वारा फोटो लिया जाना :–

पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतदान स्थल के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिए जाने में कोई आपत्ति नही है, परन्तु बगैर आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिए गए अधिकार पत्र के, उन्हें मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश न करने दें। किसी भी परिस्थिति में किसी फोटो ग्राफर को मतदान कक्ष में (जहाँ कि मतदाता मतपत्र पर निशान लगाता है) नहीं जानें दें।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के सिलसिले में नियुक्त प्रेक्षक मतदान की अवधि के दौरान कभी भी आपके मतदान स्थल/मतदान केन्द्र में आ सकते हैं। उनकी पहचान बहुत सरल है। वे या तो बैज पहने रहेंगे अथवा नियुक्ति पत्र दिखायेंगे। वे पीठासीन अधिकारी के पास रखी पंजिका में हस्ताक्षर भी करेंगे। पीठासीन अधिकारी उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें दें और उनकी पृच्छाओं का विनम्रता और आदर भाव के साथ उत्तर दें। प्रेक्षक आपको कोई निर्देश नहीं देंगे, परन्तु यदि प्रेक्षक आपके मतदान स्थल पर मतदाताओं को हो रही असुविधा को दूर करने या मतदान की प्रक्रिया को अधिक गतिशील और सरल बनाने की दृष्टि से कोई सुझाव दे ंतो उस पर अवश्य विचार करें।

मतदान के दौरान बीच–बीच में मतदान स्थल की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत), निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जैसे कि जोनल मजिस्ट्रेट या सेक्टर मजिस्ट्रेट आयेंगे। उन्हें ऐसी हर समस्या या कठिनाई से अवगत कराएं जिसका कि वह सामना कर रहे हैं। वे पीठासीन अधिकारी की कठिनाइयों के निराकरण हेतु ही मतदान स्थल पर आ रहे हैं। अतः उनसे सहायता मांगने या उन्हें अपनी परेशानी बताने में कोई संकोच न करें।

मतपेटी तैयार करना तथा सील बन्द करना

मतपेटी तैयार करना–(1)–मतदान सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिये पीठासीन अधिकारी को प्राप्त मतपेटियों को तैयार करने तथा उन्हें बन्द कर सील करने की विधि अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। अतः इस कार्य में वह मतदान स्थल के लिये प्रस्थान के पहले ही दक्षता हासिल कर लें।

(अ) मतदान निर्धारित समय पर प्रारम्भ करने के लिये पीठासीन अधिकारी को एक मतपेटी पहले से ही तैयार कर लेनी होगी। मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरम्भ करने के लिये निर्धारित समय के 20 मिनट पूर्व प्रारम्भ कर दें। जो प्रत्याशी या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता मौके पर उपस्थित हों, उन्हें मतपेटी का निरीक्षण कर लेने दें और यह दिखा दें कि मतपेटी रिक्त है तथा उसके अन्दर कुछ भी नही है। तत्पश्चात् जिस टाइप की मतपेटी पीठासीन अधिकारी को दी गई है, उस टाइप के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मतपेटी तैयार करें। गोदरेज टाइप मतपेटियों के लिये उन्हें जो सादी पेपर सीलें दी गई हैं उनमें से एक को मतपेटी पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सावधानी से लगायें। पेपर सील लगाने के पूर्व उस पर उपस्थित प्रत्याशियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लें और स्वयं भी अपने हस्ताक्षर करें तथा मतपेटी को सील बन्द करने के पूर्व उसके अन्दर निम्नानुसार एक पते की चिट भी डालें :–

विकास खण्ड .....
मतदान स्थल का क्रमांक.....
ग्राम पंचायत.....
मतपेटी का क्रमांक.....

इस चिट में मतपेटी का क्रमांक (1), (2) या (3) उसी क्रम में लिखा जायेगा जिस क्रम में मतपेटियॉं एक के बाद एक उपयोग में लाई गई हैं। मतपेटी को सील बन्द करने के लिये ऐसी ही एक चिट मतपेटी के हैण्डल पर भी बॉंध दें।

(ई) सील बन्द करने के बाद मतपेटी को मतदान स्थल पर ही, परिशिष्ट–1 व 1 क में निर्दिष्ट स्थान पर रख दें।

यदि पीठासीन अधिकारी को बड़ी मतपेटी दी गई है तो पहले वह उसका ही उपयोग करें। एक बड़ी मतपेटी की क्षमता चार छोटी मतपेटियों के बराबर होती है और ऐसा करने से अब उन्हें सम्भवतः अतिरिक्त मतपेटी का उपयोग करने की नौबत न आए।

यह हो सकता है कि मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व जब आप मतपेटी तैयार कर रहे हों और वह मतपेटी दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त हो, तो ऐसी स्थिति में आप उपलब्ध अन्य मतपेटी का पहले उपयोग करें और इसी बीच क्षतिग्रस्त मतपेटी को बदले जाने के लिये जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा अन्य किसी सम्बन्धित अधिकारी को सूचना भेजवाएं। यदि कदाचित् समय पर नई अतिरिक्त मतपेटी न मिल पाये तो दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मतपेटी पर कागज की सील या टुकड़ा चिपकाकर उसे सुतली या डोरी से बाँध दें और उसके ऊपर सील लगा दें। इस तथ्य का उल्लेख अपनी डायरी (परिशिष्ट–6) में "अन्य महत्वपूर्ण घटना" शीर्षक के अन्तर्गत करें।

जब पहली मतपेटी भरने लगे तथा "पुशर" से दबाने के बाद भी मतपेटी में मतपत्र डालने में कठिनाई हो तो दूसरी मतपेटी तैयार करके रख लें। पहली मतपेटी के भरते ही इस दूसरी मतपेटी का उपयोग प्रारम्भ कर दें। साथ ही पहली मतपेटी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बन्द करके सील करें। जब दूसरी मतपेटी भरने लगे तो इस प्रकार तीसरी और चौथी मतपेटी का उपयोग करें। भरी हुई मतपेटियों को एक साथ एक ही जगह रखें।

मतपेटी सील बन्द करना :–

(i). पंचायत निर्वाचन में मतदान का समय आयोग के निर्देश में निर्दिष्ट किया जाता है।

(ii). मतदान बन्द होने के समय जो मतपेटी उपयोग में आ रही थी, उसे उसी स्थिति में सील करें।

(iii). मतदान स्थल में उपयोग में लायी गयी मतपेटी को सील बन्द करते समय यदि कोई प्रत्याशी या उसके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता कोई अपनी सील लगाना चाहें तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मतदान

मतदान के लिये मतपत्र तैयार करना :–

मतदान स्थल पर पहुँचने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी को अन्य कार्यों के साथ मतदान के लिये मतपत्र तैयार करने होंगे। इस हेतु मतदान के पूर्व वह लगभग आधे मतपत्रों में प्रत्येक के पीछे की तरफ सुसंगत सुभेदक सील लगा देंगे।

i. ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के निर्वाचन के लिये दिये गये मतपत्रों के पीछे निम्नलिखित सुभेदक सील लगाई जानी है :–

विकास खण्ड ..... मतदान स्थल क्रमांक ..... ग्राम पंचायत	वार्ड क्रमांक

इसमें वार्ड क्रमांक केवल पंचायत सदस्य के निर्वाचन से सम्बंधित (सफेद रंग के) मतपत्रों में भरा जाना है। प्रधान से सम्बन्धित (हरे रंग के) मतपत्रों में वार्ड क्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रविष्टियाँ सील में पहले से ही रहेंगी। यदि न हों तो उन्हें भी भर दें।

ii. क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिये जो मतपत्र (क्रमशः नीले और गुलाबी रंग के) प्राप्त हुए हैं, उनमें पीछे दोहरे बार्डर वाली सुभेदक सील लगाई जानी है, जिसका इम्प्रेशन निम्न प्रकार है :–

विकास खण्ड	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ..... क्षेत्र का नाम

मतदान स्थल क्रमांक	..... जिला

इसमें क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत जैसी भी स्थिति हो, के सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरा जाना है।

iii. मतपत्रों में सुभेदक सील लगाने तथा उसमें उपर्युक्तानुसार वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक लिखने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी को उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर करने का काम उसे मतदान की सुबह को ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं । प्रारम्भ में कुछ मतपत्रों पर हस्ताक्षर करें और जैसे–जैसे मतपत्रों का उपयोग होता जाय, उसके अनुसार और मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते रहें। **प्रयास यह हो कि मतपत्र के अन्त में हस्ताक्षरित मतपत्र कम से कम संख्या में शेष रहें।**

iV. मतदाताओं को क्रमवार मतपत्र जारी करने के बजाय क्रम से हटाकर जारी करना वांछनीय है ताकि कोई यह अंदाज न लगा पाए कि किस मतदाता को कौन से क्रमांक का मतपत्र मिला और मतपत्रों की गोपनीयता बनी रहे। इसके लिये उपयोग में लाई जा रही गड्डी से मतपत्र सिलसिलेवार जारी न करते हुए बीच में कहीं से जारी किये जायें परन्तु मतदान के अन्तिम चरण में मतपत्र सिलसिलेवार ही जारी करना उपयुक्त होगा ताकि मतपत्र लेखा बनाने में कोई परेशानी न हो।

2. मतदान प्रारम्भ करना :–

i. पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ठीक समय पर मतदान प्रारम्भ करें। यदि कदाचित् मतपेटी तैयार करने में कुछ विलम्ब हो जाय, तो वह निर्धारित समय पर 5–7 मतदाताओं को मतदान स्थल में प्रवेश दे दें तथा मतदान अधिकारी (1) से उनकी पहचान आदि की कार्यवाही करने को कहें। ध्यान रहे कि मतदान करने में हुए इस प्रकार के विलम्ब के बावजूद मतदान बंद करने के लिए निर्धारित समय को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता ।

ii. मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व सभी उपस्थित लोगों (ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों तथा प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं) को मत की गोपनीयता बनाये रखने के लिए उनके कर्तव्य और उसके उल्लंघन के लिये दण्ड के बारे में स्पष्ट कर दें।

3. i. मतदान स्थल में प्रत्येक मतदाता के प्रवेश करने पर मतदान अधिकारी (1) मतदाता के नाम और उसके द्वारा बताये गए अन्य ब्योरों का निर्वाचक नामावली में दी गई

संगत प्रविष्टियों से मिलान करेगा और इसके बाद वह मतदाता का क्रमांक और नाम जोर से पढ़कर सुनायेगा।

ii. मतदाता की पहचान को कोई चुनौती न दिए जाने पर मतदान अधिकारी (1) वह सारी कार्यवाही करेगा, जिसका उल्लेख अध्याय–8 में किया गया है। यदि चुनौती दी जाये तो वह अध्याय–12 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। तदुपरान्त मतदान अधिकारी (2) उन सारे कार्यों जिनका विवरण उक्त अध्याय में दिया गया है, को सम्पादित करेगा। चार स्थानों/पदों के निर्वाचन की स्थिति में मतदान अधिकारी (3) उसी प्रकार कार्य सम्पादित करेगा। 4 स्थानों/पदों के निर्वाचन की स्थिति में मतदान अधिकारी (4) की नियुक्ति होगी किन्तु दो स्थानों/पदों पर निर्वाचन की स्थिति में मतदान अधिकारी (3) के रूप में नियुक्ति होगी और उसका कार्य मतपेटी पर **नजर रखना** व पीठासीन अधिकारी की सामान्य सहायता करना होगा। **यह मतदान अधिकारी सामान्य सहायता** तथा मतपेटी पर नजर रखने के लिए हैं।

iii. मतदान अधिकारी (1) अमिट स्याही की शीशी को बहुत सावधानी से रखें। शीशी को गिरने से बचाने के लिए किसी कप या टिन के खाली डिब्बे या चौड़े पेंदी वाले किसी बर्तन में, कुछ बालू या गीली मिट्टी में मजबूती से जमाकर रखा जाना चाहिए।

iV. मतदान के पश्चात् मतदाता को शीघ्र बाहर जाने को कहा जाए। जिस कमरे में मतदान स्थल स्थापित किया गया हो उसमें यदि दो दरवाजे हों तो एक दरवाजे का उपयोग केवल मतदाताओं के बाहर निकलने के लिए किया जाए।

V. पुरूष तथा स्त्री मतदाताओं को बारी–बारी से 4–5 मतदाताओं की टोलियों में मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश देने की व्यवस्था करें।

4(i) यदि कोई मतदाता असावधानी से, जिसके पीछे उसकी दुर्भावना न हो, अपना मतपत्र खराब कर दे और उसे लौटाना चाहे तो उसके सम्बन्ध में आप अपना समाधान कर लेने के पश्चात् उसे दूसरा मतपत्र दे दें। इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर "खराब–रद्द किया गया" शब्द अंकित करते हुए उसे भी अलग रखें।

ii मतपत्र प्राप्त करने के बाद यदि कोई मतदाता उसका उपयोग न करना चाहे और उसको आपको लौटाना चाहे तो आप उसे भी ले लें। इस प्रकार लौटाए गए मतपत्र पर "लौटाया गया रद्द किया गया" शब्द अंकित करते हुए उसे भी अलग रखें।

iii. यदि मतदाता को जारी कोई मतपत्र उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाये और ऐसा मतपत्र मतदान स्थल पर या उसके निकट किसी भी स्थान पर पाया जाए तो उसे

भी "लौटाया गया रद्द किया गया" समझा जाए और उसके सम्बन्ध में भी उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जाये।

मतदाता के पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति

मतदान अधिकारी (1) के द्वारा उसके सामने खड़े मतदाता से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियॉं पढ़ने के बाद कोई भी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता उस मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है। मतदान अधिकारी (1) द्वारा प्रविष्टियॉं पढ़ने के बाद कुछ क्षण प्रतीक्षा कर मतदाता के नाम को रेखांकित करते हुए उसके बायें हाथ की तर्जनी (अध्याय–2 के बिन्दु–11 के अनुसार) पर स्याही का निशान लगाना चाहिए। अमिट स्याही का निशान लगा देने के बाद की गई किसी आपत्ति पर विचार न किया जाये। यदि ऐसा करने के पूर्व ही आपत्ति उठा दी जाए तो पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि वह मामले को आगे की कार्यवाही हेतु अपने पास ले लें और मतदान अधिकारी (1) को अन्य मतदाताओं को मतपत्र देने की कार्यवाही जारी रखने को कहें।

2. किसी व्यक्ति के मतदाता होने के सम्बन्ध में की गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) पर तभी विचार किया जायेगा जब कि आपत्तिकर्ता ऐसी आपत्ति के लिए पीठासीन अधिकारी के पास पहले पॉंच रूपये की धनराशि नकद जमा करें। ऐसी राशि जमा करने के लिए निर्धारित रसीद (परिशिष्ट–8) दी जाए।

3. राशि जमा कर लिये जाने पर अभ्याक्षेप के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी निम्नानुसार कार्यवाही करें:–

क. जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है, उसे प्रतिरूपण करने के लिये अर्थात् जो वह नहीं है, वह बताने के लिए यह चेतावनी दें कि ऐसा कृत्य धारा–171 घ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

ख. मतदाता सूची की प्रविष्टियों को पूरी तरह पढ़कर सुनाएं और उस व्यक्ति से यह पूछें कि क्या वह वही व्यक्ति है? यदि वह हॉं कहे तो उसका नाम और पता आपत्तिकृत मतों की सूची (परिशिष्ट–9) में दर्ज करें तथा उसे उसमें अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशान लगाने को कहें।

ग. उपर्युक्त कार्यवाही के पश्चात् आप आपत्ति (अभ्याक्षेप) के सम्बन्ध में नियमानुसार संक्षिप्त जॉंच करें।

(1) आपत्तिकर्ता की आपत्ति के प्रमाण में आपत्तिकर्ता से जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है, उसके वह न होने के बारे में तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहें।

(2) इस हेतु उससे आवश्यक प्रश्न पूछें, जैसे कि वह उक्त स्थान पर कब से रह रहा है, क्या करता है, उसके रिश्तेदार और पड़ोसी कौन हैं, उसके पास कितनी जमीन है अथवा उसका क्या कारोबार है, ग्राम के प्रमुख व्यक्ति कौन हैं, आदि–आदि।

(3) पक्ष–विपक्ष में साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध/उपस्थित अन्य किसी से भी आप पूछताछ कर सकते हैं।

(4) उपर्युक्त पूछताछ हेतु पीठासीन अधिकारी शपथ पर बयान लेकर कर सकते हैं।

(5) जॉंच करने के बाद यदि आप उठाई गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) का सही होना पाये ंतो सम्बंधित व्यक्ति को मतपत्र न दें और अभ्याक्षेपकर्ता द्वारा जमा की गई राशि लौटा दें तथा लौटाई गई राशि की रसीद प्राप्त कर लें, साथ ही आप एक रिपोर्ट सम्बंधित थाने के थाना प्रभारी को ऐसा प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मतदान स्थल पर तैनात पुलिस/सुरक्षा कर्मी के साथ भेजें और प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को उसके सुपुर्द कर दें।

इसका उल्लेख पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी में यथा स्थान विवरण सहित अंकित करें।

(6) जॉंच करने के बाद यदि उठाई गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) का सिद्ध होना न पाया जाये तो सम्बंधित व्यक्ति को मतदान के लिए अनुमति देते हुए, उसी तरह मतपत्र दें जैसे किसी अन्य मतदाता को दिया जाता है। साथ ही आप अभ्याक्षेपकर्ता द्वारा जमा की गई राशि शासन के पक्ष में जब्त करने के आदेश दें।

निविदत्त मतपत्र

1– यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मतपत्र की मांग करे तथा मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है तो पीठासीन अधिकारी उससे इस आशय के कुछ प्रश्न पूछे जिससे उसे संतुष्टि हो जाए कि वह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। परन्तु उसके मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जायेगा। ऐसा मतपत्र, जिसे निविदत्त मतपत्र कहते हैं, पीठासीन अधिकारी को सौंपा जायेगा। ऐसे मतपत्रों को उसे इस प्रयोजन के लिए अलग से दिए गए लिफाफों में मदवार अलग–अलग रखें। मतदान की समाप्ति पर निविदत्त मतपत्रों के लिफाफे को जो कि यथास्थिति क्रमशः ग्राम पंचायत–सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य से सम्बंधित होंगे, सील बन्द करें।

2– निविदत्त मतपत्र, मतपत्रों की आखिरी गड्डी में से अन्तिम क्रमांक की ओर से जारी किया जाये। लेखा तैयार करने में सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाना वांछनीय है। जिस व्यक्ति को निविदत्त मतपत्र दें उससे निविदत्त मतपत्रों की सूची (परिशिष्ट–10) में संगत प्रविष्टि के सामने उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवाएं।

3– निविदत्त मतपत्रों के क्रमांक तथा संख्या अध्याय–16 के अन्तर्गत मतपत्र लेखा के क्रमांक 4 (ख) के अनुरूप रखें जायेंगे। यदि कोई निविदत्त मतपत्र जारी नहीं किया गया है तो यह प्रविष्टि शून्य रहेगी।

4– निविदत्त मतपत्रों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

अंधे या अशक्त निर्वाचकों को सहायक/साथी उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया

यदि मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) का यह समाधान हो जाये कि कोई निर्वाचक अन्धेपन या अशक्तता के कारण मतपत्र के प्रतीकों का बिना सहायता के पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर अभिलिखित करने के लिये और यदि आवश्यकता हो तो मतपत्र मोड़ने जिससे मत छिप जाये और मतपेटी में डालने के लिये अपने साथ एक साथी, जो अठ्ठारह वर्ष से कम आयु का न हो, मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगाः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगीः

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–7 क) पर प्राप्त की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है।

ii. मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख विहित प्रारूप (परिशिष्ट–7) में रखेगा।

iii. किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अध्यक्ष निर्वाचक के अनुरोध करने पर उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र के साथ दिये गये अनुदेशों को स्पष्ट कर देगा।

आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही–मतदान स्थगित करना

1–मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न हो इसके लिए सुरक्षा सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, फिर भी ऐसी परिस्थितियॉ उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें कि मतदान की कार्यवाही जारी रखना सम्भव न हो। मतदान केन्द्र पर हिंसा, बल्वे, आग लगने, तेज आंधी/ बारिश आने आदि आपदा के कारण मतदान की प्रक्रिया रूक सकती है।

2–यदि बल्वा या हिंसा हो जाये अथवा होने की सम्भावना हो तो सुरक्षा हेतु नियुक्त पुलिस कर्मियों की मदद लेनी चाहिए। यदि शान्ति स्थापित करने के प्रयास के बाद भी, बल्वा या हिंसा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में मतदान जारी रखना सम्भव न हो तो पीठासीन अधिकारी को मतदान रोक देना चाहिये और इस आशय की औपचारिक घोषणा सभी उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष करनी चाहिये। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी यदि मतदान चालू रखना सम्भव प्रतीत न हो तो मतदान बन्द कर देना चाहिए और उपर्युक्तानुसार ही उसकी भी औपचारिक घोषणा करनी चाहिये। मात्र अल्पकालिक वर्षा या तेज हवा का चलना मतदान स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नही है।

3–मतदान स्थगित करने पर पीठासीन अधिकारी को निम्नलिखित कार्य तत्काल करने होंगेः–

(क) निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को मामले के पूरे तथ्य दर्शाते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्काल भेजें। इस रिपोर्ट में न केवल घटना के तथ्यों/परिस्थितियों का वर्णन किया जाये बल्कि पीठासीन अधिकारी को मौके पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी भी सम्मिलित की जाये।

(ख) मतपेटी को (जिसमें कि मतदान रोकने के समय तक मत डाले गये होंगे) ठीक उसी प्रकार सील कर दें जिस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में मतदान पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। इस मतपेटी को पूर्व में मतपत्रों से भरी तथा सील की हुई मतपेटियों के साथ (यदि कोई हो, तो) सुरक्षित रख दें। वस्तुतः आपको लेखा तैयार करने, अन्य पैकेटों को सील बन्द करने तथा मतपेटियों, पैकेटों आदि को निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रेषित करने की कार्यवाहियॉ यथासाध्य ठीक उसी प्रकार करनी होंगी जैसा कि मतदान शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने के उपरान्त की जाती हैं।

(ग) मतदान स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की सूचना दो प्रतियों में तैयार की जायेंगी। एक प्रति में मतदान स्थल में उपस्थित प्रत्याशियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लें तथा दूसरी प्रति मतदान केन्द्र पर सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रदर्शित (चस्पा) करें।

4– मतदान स्थगित करने के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी को दिये गए विवेकाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जबकि मतदान चालू रखना वस्तुतः असम्भव हो जाये।

5– अल्पकालिक स्थगन (एडजर्नमेन्ट) पर पुनर्मतदान की कार्यवाहीः–

उपर्युक्तानुसार स्थगित किया गया मतदान जब पुनः प्रारम्भ किया जाये तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गयी मतदाता सूची की चिह्नांकित प्रति को सील बन्द कर, पैकेट में रखा जायेगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपको अन्य सामग्री के साथ नयी मतपेटी भी दी जायेगी और स्थगन से पूर्व प्रयोग में लाई गई मतपेटी को सीलबन्द ही रखा जायेगा। स्थगित मतदान को पुनः प्रारम्भ करने पर नई मतपेटी का प्रयोग किया जायेगा। मतदान पुनः प्रारम्भ करने के पूर्व तत्समय उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष सील बन्द पैकेट खोलें तथा मतदाता सूची की चिह्नांकित प्रति के अनुसार आगे मतदान करायें। **उन मतदाताओं को, जिन्होंने अल्पकालिक स्थगन से पहले मतदान के दौरान अपने मत दे दिये हों, फिर से मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।** इस प्रकार कराये गये पुनर्मतदान के मामले में मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के उपरान्त की जानी वाली समस्त कार्यवाहियॉं ठीक उसी प्रकार से की जायेंगी जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में कराये जाने वाले मतदान के लिये की जाती हैं।

6– आपात स्थितियों में मतदान का स्थगनः– यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी बल्वा या हिंसा द्वारा अवरोध किया जाय या बाधा डाली जाये या किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव न हो, तो ऐसे मतदान स्थल पर मतदान स्थगित किये जाने की पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाएगी और इसकी सूचना तुरन्त निर्वाचन अधिकारी को दी जायेगी। निर्वाचन अधिकारी उन परिस्थतियों की सूचना तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा और उसके पूर्वानुमोदन से यथा शीघ्र नया मतदान कराने के लिये दिन नियत करेगा। साथ ही वह स्थान तथा समय जहॉं पर नया मतदान कराया जायेगा, नियत करेगा और उसे ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा जैसा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये। उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामलें में पीठासीन अधिकारी नया मतदान करायेगा और इस सम्बन्ध में एतद् सम्बंधी नियमावली के नियम/उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

7– मतपेटियों के विनष्ट हो जाने आदि के मामले में कार्यवाही :– मतदान स्थल पर कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने की अत्यन्त गंभीर परिस्थितियों में कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा उपयोग में लायी गई मतपेटियों पर विधि विरूद्ध ढंग से कब्जा कर लेने या आपके नियंत्रण से मतपेटियॉं छीनने या बाहर निकाल लेने की दशा में, अथवा किन्ही अन्य परिस्थतियों में मतपत्रों से भरी और उपयोग में

लायी गई मतपेटियों को विनष्ट करने, मतपत्रों की हेरा–फेरी की दृष्टि से सील तोड़कर या अन्यथा गडबड़ी करने या उनके दुर्घटनावश विनष्ट हो जाने की दशा में या **मतदान स्थल में प्रक्रिया सम्बन्धी कोई ऐसी गलती या अनियमितता हो जाये जिससे कि मतदान दूषित हो जाये,** तो उपर्युक्त वर्णित स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान स्थगित कर देगा और तुरन्त सम्पूर्ण तथ्यात्मक विवरण दर्शाते हुए एक प्रतिवेदन निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजेगा। ऐसे प्रतिवेदन में सही–सही तथ्य लिखे जायें तथा कुछ भी सारभूत जानकारी न छिपाई जाय।

इस प्रकार स्थगित किये गये मतदान के बारे में उल्लिखित निर्देशों का पालन करें और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा पुनर्मतदान के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने पर **निर्धारित प्रक्रिया** का अनुसरण करें।

मतपत्र लेखा तैयार करना

ग्राम पंचायत के सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिये आपको वार्डवार मतपत्र दिये जायेंगे। उदाहरण के लिये यदि आपके मतदान स्थल से ग्राम पंचायत के 9 वार्ड सम्बद्ध हैं, तो आपको प्रत्येक वार्ड के लिये मतपत्रों की अलग–अलग गड्डियॉं दी जायेंगी। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों के मामले में भी मतपत्रों की अलग–अलग गड्डियॉं दी जायेंगी। मतदान के पश्चात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आपको निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–11) में अलग–अलग मतपत्र लेखा तैयार करना होगा।

(अ) क्रमांक–1 में आपको सम्बन्धित निर्वाचन के लिये प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या लिखनी है। "क्रमांक" के कालम में आप 50–50 या 20–20 की गड्डियॉं (जैसी भी स्थिति हो) में प्राप्त मतपत्रों के प्रथम व अंतिम "क्रमांक" लिखते हुए सामने कुल संख्या लिख दें। फिर सभी का योग "कुल संख्या" के कालम में नीचे लिख दें।

(आ) क्रमांक–2 में आपको उपयोग में न लाये गये मतपत्रों की संख्या लिखनी है। यहॉं आप इन मतपत्रों की संख्या लिखें, जो मतदान समाप्ति के बाद आपके पास शेष रहे हों, चाहे उनके पृष्ठ भाग पर सुभेदक रबर सील लगी हो या नहीं और आपने हस्ताक्षर किये हों या नहीं। यह विवरण भी, दो या तीन लाइनों में शेष रहे मतपत्रों के क्रमांक (प्रथम व अंतिम) दर्शाते हुए तथा सामने संख्या लिखते हुए अंत में कुल संख्या के कालम में मतपत्रों की संख्या का योग लिखकर पूर्ण किया जायेगा।

(इ) क्रमांक–3 में आपको क्रमांक के नीचे कुछ नहीं लिखना है तथा कुल संख्या के नीचे क्रमांक –1 और 2 की कुल संख्या का अन्तर लिखना है।

(ई) क्रमांक–4 में आपको उन मतपत्रों का हिसाब देना है जो कि प्रयोग में तो लाये गये हों (अर्थात् क्रमांक–3 में सम्मिलित हैं) परन्तु मतदाता द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गये हों। इसके भाग (ग) में मुद्रण/लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किये गये मतपत्र आपको लिखना है तथा भाग (ख) में निविदत्त मतपत्र लिखना है । भाग (क) में उन मतपत्रों की संख्या लिखी जायेगी जो कि मुद्रण/लेखन की त्रुटि छोड़कर अन्य कारणों से रद्द किये गये हैं। इसमें प्रमुखतः मतदाताओं द्वारा असावधानी बरतने के कारण रद्द किए गए मतपत्र और प्राप्त कर लेने के बाद मत न डालने का निश्चय करने वाले मतदाताओं द्वारा मतपत्र लौटा दिये जाने के कारण रद्द किये गऐ मतपत्र सम्मिलित हैं। जारी होने के बाद मतपेटी में डाला गया और मतदान स्थल में या उसके निकट में पाया गया मतपत्र भी इसी श्रेणी में आता है।

क्रमांक–5 में "क्रमांक" के नीचे कुछ नहीं लिखा जायेगा। "कुल संख्या" के नीचे आपको क्रमांक–3 और 4 का अन्तर लिखना होगा।

उदाहरण :– 50 मतपत्रों की एक गड्डी और 20–20 मतपत्रों की दो गड्डियाँ इस प्रकार यदि किसी ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक– 2 के लिये आपको 90 मतपत्र दिये गये हैं, तो क्रमांक 1 में आप निम्नानुसार प्रविष्टि करेंगेः–

1.	मतदान स्थल के लिए	00551 से	00600	50
	पीठासीन अधिकारी द्वारा	00841 से	00860	20
	प्राप्त किए गए मतपत्रों की	00961 से	00980	20
	संख्या			
		योग		90

मान लें मतदान समाप्ति के पश्चात् आपके पास 31 मतपत्र शेष रहते हैं तो आप इन मतपत्रों के "क्रमांक" का क्रम देख लें। क्रमांक–2 में उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की प्रविष्टि निम्नानुसार होगीः–

2.	उपयोग में न	00849	से	00860	12
	लाये गये मतपत्रों	00961	से	00979	19
	की संख्या				
		योग–			31

अब क्रमांक–3 में प्रविष्टि निम्नानुसार होगीः–

3. प्रयोग में लाए गये मतपत्रों की संख्या 90 – 31 = 59 (1–2=3)

क्रमांक–4 में उपयोग में लाये गये परन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्रों का विवरण दिया जायेगा। मान लीजिये कि मतपत्र क्रमांक 00561 तथा 00572 रद्द किये गये हैं। इसमें से एक मतपत्र लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किया गया है तथा दूसरा "लौटाया गया–रद्द किया गया" की श्रेणी में है। यह मानने पर कि एक और मतपत्र "निविदत्त" हुआ है, तब क्रमांक–4 की प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होंगी :–

4– उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्र :–

(क) रद्द किये गये मतपत्र	00572	01
(ख) निविदत्त मतपत्र	10980	01
(ग) मुद्रण/लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किये गये मतपत्र	00561	01
योग (क +ख + ग)	.....	03

अतः क्रमांक–2 में प्रविष्टि निम्नानुसार होगी–

5. मतपेटी में डाले गये मतपत्रों की संख्या

(3–4 = 5) = (59 – 03) = 56

पीठासीन अधिकारी की डायरी

1– पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान से सम्बंधित प्रमुख कार्यवाहियों एवं घटनाओं का तथ्यात्मक उल्लेख अपेक्षित है। डायरी दिये गये प्रारूप (परिशिष्ट–6) में लिखी जायेगी जो कि आपको मतदान सामग्री के साथ प्राप्त होगी।

2–डायरी लिखने में निम्नलिखित बिन्दु ध्यान में रखें :–

i. कालम 5– इसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी के नाम और पते के अतिरिक्त उन्हें इस कारण का उल्लेख करना है जिसमें ऐसी नियुक्ति करनी पड़ी।

ii. कालम 8– इसमें उपस्थित प्रत्याशियों एवं उनके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ताओं की केवल संख्या दर्शानी है। नामों का उल्लेख नहीं करना है।

iii. कालम 9– इसमें केवल उन मतदाताओं की संख्या का उल्लेख करना है, जिन्हें मतदान में साथी/सहायक दिया गया हो। आंशिक अंधेपन या शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति, जो किसी की मदद से मतदान स्थल में आये हों, परन्तु जिन्होंने मतदान कक्ष में मतदान बिना किसी सहायक के किया हो, उनकी संख्या इस कालम में नहीं दर्शायी जानी है।

iV. कालम 12– इसमें यदि किसी अवधि में मतदान स्थगित करने की स्थिति आयी हो, तो उसका केवल उल्लेख कर देना ही पर्याप्त नही है। आपको इसका एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उसे डायरी के साथ संलग्न करना चाहिये।

V. कालम 14– इसमें केवल महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे – मारपीट/झगड़ा/हिंसा की घटना/निर्वाचन अपराध/निर्वाचन प्रेक्षक का आना आदि का ही संक्षिप्त उल्लेख करना चाहिये।

डायरी लिखने के लिये मतदान के समाप्त हो जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। कुछ सूचना ऐसी है, जो घटनाओं के साथ ही अंकित की जा सकती है और कुछ जानकारी पूर्व से ही तैयार करके लिखी जा सकती है, जैसे मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता और उनमें पुरूष और महिलाओं की संख्या।

मतदान समाप्त होने के पश्चात् डायरी को पूरा करें और इसे अध्याय–18 में दिये गये निर्देशों के अनुसार बन्द करके निर्धारित लिफाफे में रखें।

विभिन्न प्रपत्रों को तैयार करना तथा लिफाफों को सील करना

1– मतदान समापन के बाद मतपेटी सील करना – मतदान समाप्त होते ही सर्वप्रथम मतपेटी की दरार को बन्द करें तथा दरार नियंत्रक मुठिया एवं स्थिर मुठिया के छेदों में तार का टुकड़ा डालकर सिरों को कस कर कई बार मोड़ें। साथ ही छेद में धागा डालकर सील लगायें एवं इच्छुक प्रत्याशियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं को सील लगाने दें।

2– मतपत्र लेखा तैयार करना – मतपेटी सील करने के पश्चात् पहला काम मतपत्र लेखा तैयार करना है। चार पदों/स्थानों का निर्वाचन एक साथ कराये जाने की स्थिति में सभी वार्डों के मतपत्र लेखा वार्डवार तथा प्रधान, जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के मतदान से सम्बंधित मतपत्र लेखा अलग–अलग रखे जायें। इसी प्रकार एक से अधिक पदों/स्थानों के निर्वाचन की स्थिति में भी प्रत्येक पद/वार्ड का मतपत्र लेखा अलग–अलग रखा जाएगा। इसके लिये आपको लिफाफे पर्याप्त संख्या में प्रदान किये गये हैं। यह लिफाफे सीलबन्द ही होंगे।

3–सॉविधिक लिफाफों को सीलबन्द करना–सॉविधिक लिफाफों में निम्नांकित लिफाफे शामिल हैं और इनके महत्व को देखते हुए इन्हें सबसे पहले सील बन्द किया जायेः–

i. **चिह्नित मतदाता सूची –** मतदान अधिकारी (1) द्वारा प्रयोग में लायी गई मतदाता सूची जिसमें मतदान कर चुकने वाले मतदाताओं के नाम रेखांकित एवं सही के निशान से चिह्नित किये गये हैं, चिह्नित मतदाता सूची कहलायेगी। इसे निर्धारित लिफाफे में रख कर सील बन्द किया जाये।

ii. **रद्द किये गये मतपत्र –** ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में वार्डवार ऐसे मतपत्र जिन्हें रद्द किया गया है तथा जिनका उल्लेख सम्बंधित वार्डों के मतपत्र लेखा में किया गया है, को इस हेतु प्रदत्त लिफाफे में रख कर सील बन्द किया जाये। इसी प्रकार प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य से सम्बंधित रद्द किये गये मतपत्रों को अलग–अलग ऐसे ही लिफाफों में रख कर उन्हें सील बन्द किया जाये।

iii. **निविदत्त मतपत्र एवं उनकी सूची –** मतदान के दौरान सदस्यों के मामले में वार्ड वार जो निविदत्त मतपत्र इस हेतु निर्धारित लिफाफे में रखे गये थे उन्हें तथा उनसे सम्बंधित सूची को इस लिफाफे में रखते हुए इस लिफाफे को सील बन्द किया जाये। इसी प्रकार प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन से

सम्बंधित निविदत्त मतपत्रों को भी सम्बंधित मतपत्रों की सूची के साथ दिये गये लिफाफे में सील बन्द किया जाये।

iV. **उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण –** सदस्यों के मामलों में वार्डवार उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण को एक साथ इस हेतु प्रदत्त लिफाफे में सीलबन्द किया जाये। इसी प्रकार प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण अलग–अलग लिफाफों में सीलबन्द किये जायें।

V. **मतदाताओं को जारी न किये गये मतपत्र –** सदस्यों के मामले में वार्डवार ऐसे सभी मतपत्र जिनका उपयोग नहीं हुआ है एवं जिनकी संख्या सम्बंधित मतपत्र लेखा में दर्शायी गई है, उन्हें एक साथ इस हेतु प्रदत्त एक लिफाफे में रखा जाये एवं लिफाफे को सीलबन्द किया जाये। इसी प्रकार प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन से सम्बंधित बचे हुए मतपत्रों को भी जो मतदाताओं को जारी नहीं किये गये थे, अलग – अलग लिफाफे में रखा जाये एवं तदुपरान्त उन्हें सील बन्द किया जाये।

उपर्युक्त उपखंडिकाओं (i) से (v) में वर्णित सांविधिक लिफाफों पर इच्छुक प्रत्याशी या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता भी यदि अपनी सील लगाना चाहें तो उन्हें सील लगाने दें। इन लिफाफों को सील करने के पूर्व गोंद या लेई से अच्छी तरह चिपका कर बन्द किया जाये एवं तत्पश्चात् उन पर प्रदत्त की गई पीतल की सील से चपड़े की सील लगाई जाये।

Vi. **सभी सांविधिक लिफाफों को एक साथ सीलबन्द करना–**उपर्युक्त सभी सांविधिक लिफाफों को पदवार अलग–अलग एकत्र करते हुए इस हेतु प्रदत्त बड़ी शीट (शीट–एक) में लपेटें एवं शीट को किनारों पर चिपका कर एवं सुतली से चारों ओर लपेट कर सीलबन्द करें।

4–सांविधिक लिफाफों को सीलबन्द करने के उपरान्त निम्नांकित विधि से लिफाफे/कागजात अलग–अलग लिफाफों में रखते हुए उन सबको एक विविध लिफाफे में रखें।

i. अभ्याक्षेपित मतों वाली सूची का लिफाफा।

ii. अभ्याक्षेपित मतदाता के मामले में निक्षेप की रसीदें।

iii. मतदाता सूची की अन्य प्रतियॉं।

iV. मतदान अधिकारियों द्वारा की गई घोषणा एवं नियुक्ति पत्र।

V. अन्य विविध कागजात उनकी सूची के साथ। इस लिफाफे को इस स्टेज पर बन्द न किया जाये।

5– उपर्युक्त कार्यवाही फुर्ती के साथ लगभग एक घण्टे के भीतर पूर्ण करने का प्रयास करें। चूँकि आपके मतदान स्थल पर मतगणना नहीं की जानी है, अतः मतपत्र लेखाओं से सम्बंधित लिफाफे तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला लिफाफा जमा करें।

6– <u>विविध कागजातों को रखना</u> – आपको जो बड़े लिफाफे दिये गये हैं उसमें आप मतदान सम्बन्धी निम्नांकित विविध कागजात भी रखें:–

i. मतदान अभिकर्ताओं की घोषणाऐं एवं उनके नियुक्त पत्र।

ii. अन्य कोई कागजात या लिफाफे।

उपर्युक्त सामग्री रखने के उपरान्त इस लिफाफे को गोंद/लेई से चिपका कर बन्द कर दें।

7– इस प्रकार विभिन्न कागजातों एवं लिफाफों को सीलबन्द करने के बाद सांविधिक लिफाफों के बंडल, मतपत्रों के बंडल सीलबन्द करने हेतु दी गयी खाली थैली में रखें। मतदान प्रक्रिया के लिए जो भी सामग्री दी गई थी, उसे दूसरे थैले में रखें।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आप उसे निर्धारित वाहन द्वारा मतदान स्थल से वापस करने की तैयारी करें। किसी कारणवश यदि वाहन पहुँचने में देरी हो जाये तो वहाँ से आप कहीं न जायें और वहीं पर प्रतीक्षा करें। विकास खण्ड मुख्यालय पर पहुँचकर तत्काल सीलबन्द मतपेटी/मतपत्र लेखा, पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा सांविधिक लिफाफों व अन्य लिफाफों के पैकेट निर्धारित काउण्टर पर जमा करके रसीद प्राप्त कर लें। खाली मतपेटी तथा अन्य निर्वाचन सामग्री को निर्धारित काउण्टर पर जमा करके रसीद प्राप्त करें। तदुपरान्त मतदान अधिकारियों को निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र जारी करें और स्वयं निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेकर ही कार्यमुक्त हों।

पी0सी0एफ0 भवन,
32–स्टेशन रोड,
लखनऊ–226005

राजेन्द्र भौनवाल,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
पंचायत एवं स्थानीय निकाय
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट–1

दो स्थानों/पदों के निर्वाचन की स्थिति में

पंचायत निर्वाचन मतदान स्थल की आन्तरिक बनावट

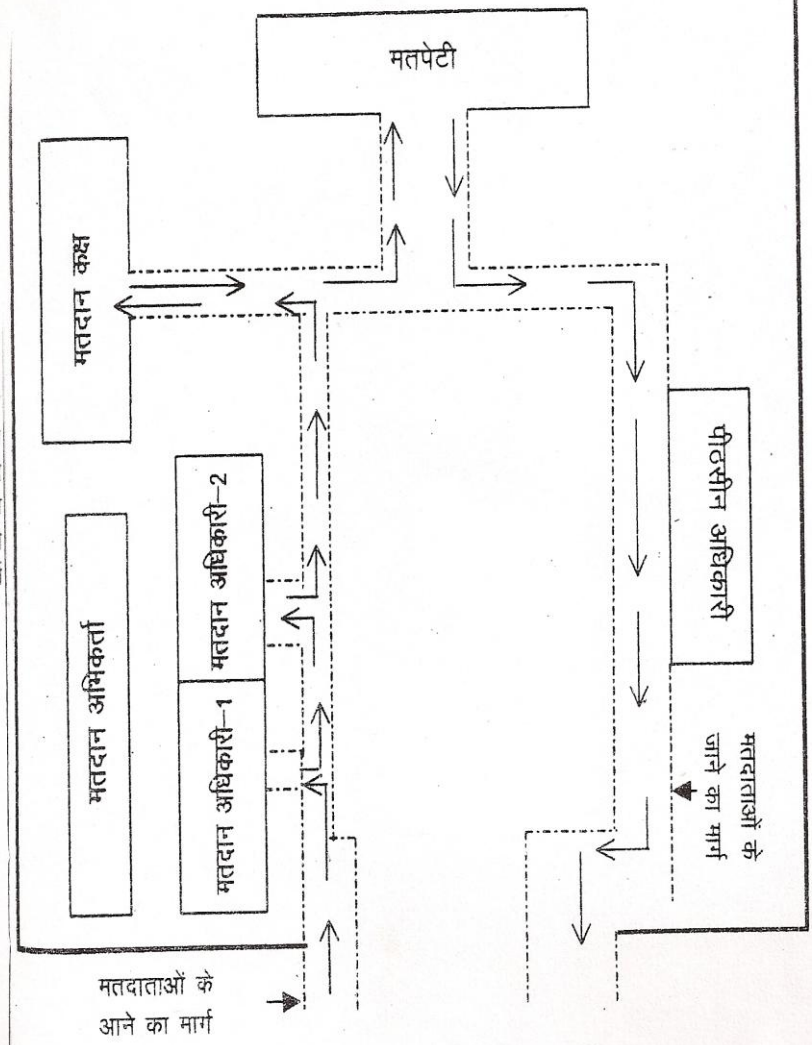

परिशिष्ट–1क

पंचायत निर्वाचन मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था

(चार स्थानों के लिए)

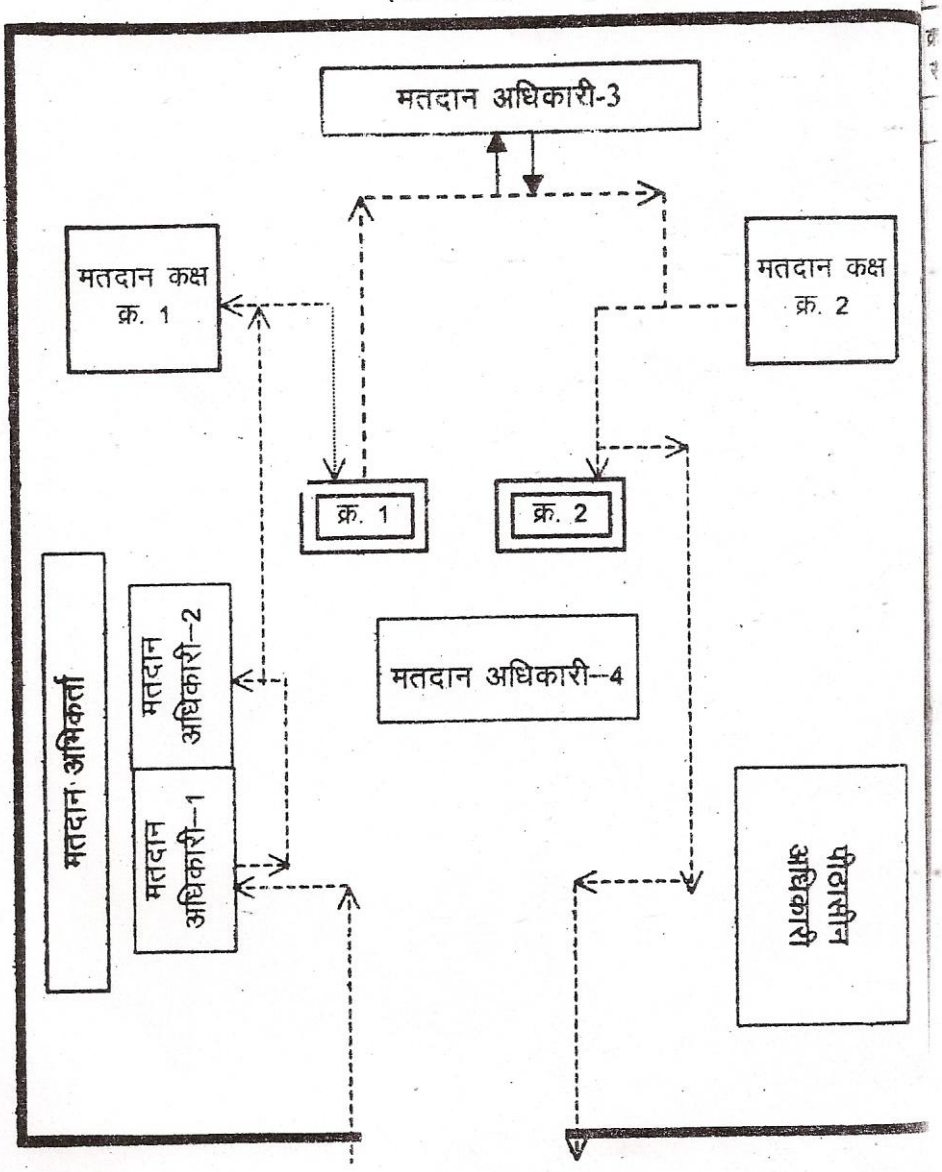

परिशिष्ट–2

अपेक्षित निर्वाचन सामग्री का विवरण

एक मतदान टोली के लिये

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा प्रति किट
1	2	3
1.	अमिट स्याही (5 सी0सी0)	02(आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी)
2.	पीठासीन अधिकारी के लिए धातु मुद्रा (मेटल सील)	01(आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी)
3.	पुशर (मतपत्रों को पेटी में दबाने के लिए)	01(आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी)
4.	पेपर सील	06(आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी)
5.	मतपेटी	03(आयोग द्वारा व्यवस्था की जायेगी)
6.	जूट/कपड़े का थैला	03(आयोग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे)
7.	मतपत्र पर लगाने के लिए एरोक्रास सील	04(आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी)
8.	निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ	05(जनपद स्तर पर तैयार की जायेगी)
9.	मतपत्र	आवश्यकतानुसार(राजकीय मुद्रणालय से मुद्रित होंगे)
जिले स्तर से क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण –		
10.	स्याहीयुक्त स्टाम्प पैड बैंगनी (मीडियम)	02
11.	स्टाम्प पैड इंक	01
12.	बाल पेन नीली रिफिल	03
13.	कपड़े का टुकड़ा	टुकड़ा
14.	आलपिन पत्ता	01
15.	सीलिंग बैग्स बत्ती	08
16.	अभ्याक्षेपित मतों के लिए निक्षेप की रसीद 10 पन्नों की	01

17.	अभ्याक्षेपित मतों की सूची	04
18.	गोंद की शीशी 60 एम0एल0/लेई	01
19.	माचिस	01
20.	ब्लेड	01
21.	मतदान अधिकारियों के लिए बैज	05
22.	मतदान अभिकर्ता का बैज	30
23.	पीठासीन अधिकारियों के लिए बैज	01
24.	मतपत्र को अलग करने के लिए धारदार पत्ती	02
25.	मतदाताओं के प्रवेश की पट्टी	02
26.	मतदाताओं के निकास की पट्टी	02
27.	पत्र मुद्रा को मजबूत करने के लिए कार्डबोर्ड (2″ X 3.5″)	06
28.	मतदान स्थल की सुभिन्नक चिह्न वाली मुहर	02
29.	पैकिंग पेपर कुल सीट (18″ X 22″)	02
30.	मतपेटिकाओं के लिए लेविल	06
31.	पते की चिट	06
32.	उपयोग में न लाये गये पीठासीन अधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त मतपत्र रखने केलिए लिफाफे (11″ X 16″)	04
33.	उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण रखने के लिए लिफाफे (11″ X 6″)	04
34.	निविदत्त मतपत्र रखने हेतु लिफाफा (9″ X 4″)	04
35.	निविदत्त मतपत्रों की सूची रखने के लिए लिफाफे (9″ X 4″)	04
36.	उपयोग में न लाये गये मतपत्र रखने के लिए लिफाफा (11″ X 16″)	04

37.	रद्द अथवा वापस किये गये मतपत्र रखने के लिए लिफाफे (4″ x 10″)	04
38.	निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रतियाँ रखने के लिए लिफाफे (9″ x 11″)	05
39.	मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र को रखने के लिए लिफाफे (9″ x 4″)	04
40.	पीठासीन अधिकारी की डायरी रखने का लिफाफा	01
41.	रसीद बुक एवं संग्रहित धनराशि रखने का मोटे कागज का लिफाफा (11″ x 16 ″)	01
42.	अप्रयुक्त पेपरसील रखने का मोटे कागज का लिफाफा (9″ x 4″)	01
43.	मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण रद्द किये गये मतपत्रों के लिफाफे	04
44.	पीठासीन अधिकारी के उपयोगार्थ सादे लिफाफे	04
45.	मतपत्र लेखा के लिए लिफाफे (9″ x 4″)	04
46.	पेपरसील लेखा का लिफाफा (9″ x 4″)	01
47.	मोमबत्ती (लम्बाई 200 एम0एम0)	06
48.	लचीला तार (1 गज)	01
49.	प्रत्येक पद के निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची	02
50.	नियुक्ति पत्र	04
51.	पीठासीन अधिकारी की डायरी(02फुलस्केप पन्ने की डायरी)	01
52.	अन्धे/अशक्त मतदाताओं की सूची	04
53.	अन्धे/अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा का प्रपत्र	04
54.	मतदान के लिए मतपेटी के प्रयोग का घोषणा का प्रपत्र	03
55.	कार्बन पेपर	01
56.	सुतली	50ग्राम
57.	धागा	छोटा गुल्ला

58.	धागे के साथ बन्द करने के लिए (5" X 5से0मी0)मोटे कागज का टुकड़ा	10
59.	लाल,नीली पेंसिल	03
60.	सादा कागज	04
61.	स्त्री, पुरूष की पट्टी	02
62.	दफ्ती का टुकड़ा(8" X 5")	04
63.	दफ्ती का टुकड़ा(11" X 3")	04
64.	मतदान ड्यूटी प्रमाणपत्र (मतदान दल)	05
65.	मतदान ड्यूटी प्रमाणपत्र (पीठासीन अधिकारी)	01
66.	रिसीट मेमो	02
67.	कॉटन डोरी	03
68.	कॉटन टेप	04
69.	सूजा	01

प्रधान पद के लिये निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची का प्रारूप

परिशिष्ट–3

क्रमांक	प्रत्याशी का नाम	प्रत्याशी का पता	आवंटित चुनाव चिह्न
1	2	3	4

हस्ताक्षर,
रिटर्निंग आफिसर,
(ग्राम पंचायत)

मतपत्र का प्रारूप

परिशिष्ट–4

पंचायत निर्वाचन–प्रधान

मतदाता का क्रमांक.....

1104094

हस्ताार/अंगूठे का निशान

प्रतिपर्ण

पंचायत निर्वाचन–प्रधान

मतपत्र

परिशिष्ट–5

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप

वार्ड क्रमांक*..... से .....ग्राम पंचायत के लिये सदस्य*.

.....

.....ग्राम पंचायत के लिये प्रधान *.....

.....

.....क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक *.....

.....

.....जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक *.....के लिये निर्वाचन

मैं.....जो उपर्युक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हूँ *.....

.....का जो उपर्युक्त निर्वाचन में प्रत्याशी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूँ *

एतद्द्वारा.....(नाम तथा पता) को

मतदान केन्द्र क्रमांक .....स्थान पर हाजिर होने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान..... .....

तारीख..... प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता द्वारा यह घोषणा जिसपर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किये जायेंगे।

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कार्य नहीं करूँगा।

सामने हस्ताक्षरित की गई .....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान..... .....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

परिशिष्ट–6

पीठासीन अधिकारी की डायरी

सदस्य/प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में

1. खण्ड विकास क्षेत्र का नाम .....
2. मतदान का दिनांक .....
3. मतदान स्थल की संख्या व नाम.....
4. मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में स्थित है :– सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निजी/अस्थाई निर्माण
5. जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्तर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता (यदि कोई हो) और नियुक्ति का कारण

   नाम.....
   पता.....
   .....

   कारण.....
   .....
   .....
6. उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या तथा प्रकार और नम्बर (यदि कोई मतपेटिकाओं पर हो)

   बड़ी.....
   छोटी.....
7. मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं के विवरण :–

मतदाता	मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता	मतदाता जिन्होंने मतदान किया	मतदान का प्रतिशत
1	2	3	4
पुरूष			
महिला			
योग			

8. मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की सरकारी/अर्ध सरकारी/निजी/ अस्थाई निर्माण पर उपस्थिति :–

क्रम सं0	पद जिसके लिये निर्वाचन हो रहा है	निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या	उपस्थित प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं की संख्या	
			प्रत्याशी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता	मतदान अभिकर्ता
1	2	3	4	5
	1 सदस्य(मतदान स्थल के अन्तर्गत सभी वार्डों के लिये मिलाकर)			
	2. प्रधान			
	3. क्षेत्र पंचायत सदस्य			
	4. जिला पंचायत सदस्य			

9. अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई।
10. आपत्तिकृत (चैलेन्ज्ड) मतों की संख्या, जब्त की गई धनराशि
11. निविदत्त (टेन्डर्ड) मतों की कुल संख्या
12. यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि (विस्तृत विवरण अलग से संलग्न करें)।
13. जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला, तब का सही समय
14. अन्य महत्वपूर्ण घटना (यदि कोई घटी हो तो)

परिशिष्ट–7

अन्धे और विकलांग मतदाताओं की सूची का प्रारूप

ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के .....वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र विकास क्रमांक.....जनपद.....से सदस्य के लिये निर्वाचन

ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत.....के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... के मतदान केन्द्र की संख्या..... व नाम

निर्वाचन की भाग संख्या	क्रम संख्या	निर्वाचक का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम व पता	साथी के हस्ताक्षर

तरीख

मतदान अध्यक्ष के हस्ताक्षर

सहायक/साथी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

परिशिष्ट–7 क

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं श्री/सुश्री/कु0/श्रीमती.....
.....पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्री/सुश्री.....
.....जो ग्राम ..... भाग संख्या.....
क्रमांक.....पर मतदाता के रूप में दर्ज है और अंधेपन/अशक्तता के कारण अपना मत अभिलिखित करने/मतपत्र मोड़ने/मतपेटी में डालने में असमर्थ है, के साथी के रूप में श्री/सुश्री/कु0/श्रीमती..... की इच्छानुसार ही मत अभिलिखित कर/मतपत्र मोड़कर मतपेटी में डालूँगा। मैं अभिलिखित मत की गोपनीयता बनाए रखूँगा।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सिवाय श्री/सुश्री/कु0/श्रीमती.....
..... के अन्य किसी के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है और न ही आज के मतदान में किसी अन्य के लिए साथी के रूप में कार्य करूँगा/करूँगी।

सहायक/साथी के हस्ताक्षर

पूरा नाम व पता

.....

.....

आयु.....

परिशिष्ट–8

पंचायत निर्वाचन

निक्षेप धनराशि की रसीद

श्री..... प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से रूपये 5/– (रूपए पॉच) मात्र की राशि आपत्ति के निक्षेप के रूप में प्राप्त की।

स्थान..... .....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान स्थल क्रमांक.....

रसीद वापसी

परिशिष्ट–9

आपत्तिकृत मतों की सूची का प्रारूप

.....के निर्वाचन के दौरान आपत्तिकृत मतों की विशिष्टयॉं

वार्ड क्रमांक *.....से.....ग्राम पंचायत के लिये सदस्य *.....

.....ग्राम पंचायत के लिये प्रधान * .....

.....

क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक * .....से क्षेत्र पंचायत के लिये सदस्य * .....

जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक *.....से जिला पंचायत के लिये सदस्य *.....

मतदान स्थल क्रमांक.....स्थान.....

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में क्रमांक	उस ग्राम का नाम जिसकी मतदाता सूची है	जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गयी है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5

जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति का पता	यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम	आपत्तिकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप का प्रतिदाय करने पर आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर
6	7	8	9	10

स्थान..... .....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिये

परिशिष्ट–10

पंचायत निर्वाचन

निविदत्त मतों की सूची का प्रारूप

ग्राम पंचायत..... के वार्ड क्रमांक.....से

सदस्य/प्रधान क्षेत्र/जिला..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से

सदस्य के लिये निर्वाचन।

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में क्रमांक	उस ग्राम का नाम जिसकी मतदाता सूची है	निविदत्त मतपत्र क्रमांक	जिस व्यक्ति ने पहले ही मतदान कर दिया है उसको दिये गये मतपत्र का क्रमांक	मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7

स्थान..... .....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नोटः– सदस्य के मामले में सभी सम्बद्ध वार्डों के दौरान पड़े निविदत्त मतपत्रों के विवरण वार्डवार एक ही प्रति में अंकित करें।

परिशिष्ट–11

पंचायत निर्वाचन

मतपत्र लेखा

ग्राम पंचायत..... के वार्ड ..... से सदस्य/प्रधान क्षेत्र /जिला पंचायत..... का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....से सदस्य के लिये निर्वाचन

मतदान स्थल क्रमांक.....

	क्रमांक	कुल संख्या
1. मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या	.....से.....	.....
2. उपयोग में न लाये गये मतपत्रों की संख्या	..... से.....	.....
3. प्रयोग में लाये गये मतपत्रों की संख्या(1–2–= 3)	.....	.....
4. उपयोग में लाये गये किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्रों की संख्या		
क. रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या व क्रमांक	.....	.....
ख. निविदत्त मतपत्रों की संख्या व क्रमांक	.....	.....
ग. मुद्रण/लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या व क्रमांक	.....	.....
योग– (क+ख+ग)		
5. मतपेटी में डाले गये मतपत्रों की संख्या	.....	.....

स्थान.....

तारीख.....

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–12

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली,1994 के सुसंगत प्रावधानों का उद्धरण।

मतदान स्थल में प्रवेश–नियम–23–(1)–मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को विनियमित करेगा और निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा–

क. मतदान अधिकारी,

ख. प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसका मतदान अभिकर्ता,

ग. पुलिस अधिकारी और अन्य लोकसेवक,

घ. निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,

ड. अन्धे या अशक्त निर्वाचक जो सहायता के बिना चल फिर न सकते हों के साथ अन्य व्यक्ति, और

च. ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय–समय पर आने दें।

(2) मतदान अध्यक्ष नियम–14 के उप नियम–(2) के अधीन मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उस समय के बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगाः

प्रतिबन्ध यह है कि सभी निर्वाचक को जो मतदान केन्द्र के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों, अपने मत अभिलिखित करने के हकदार होंगे।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक को उपनियम–(2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनों के लिये मतदान स्थल बन्द किये जाने के पूर्व वहाँ पर उपस्थित समझा जाये या नहीं तो उसे मतदान अध्यक्ष के निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

मतदान की प्रक्रिया–नियम 24– इस नियमावली के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतपत्र पर चिह्न लगाकर मतदान करने की रीति का अनुसरण किया जायेगा और परोक्षी द्वारा कोई मत स्वीकार नहीं किया जायेगा।

मतपत्र–नियम–25 (1)– प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी डिजाइन का होगा, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये।

(2)– किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिह्न की मुहर लगाई जा सकती है जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

मतपेटियां–नियम 26–(1)– प्रत्येक मतपेटी ऐसी डिजाइन और रंग की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये।

(2)– यह इस प्रकार से बनायी जायेगी कि मतदान के समय उसमें मतपत्र डाला जा सके किन्तु मतपेटी को खोले बिना या मुहर को तोड़े बिना निकाला न जा सके।

(3) प्रत्येक मतपेटी या उसके किसी संघटक भाग अथवा उससे सम्बद्ध किसी चीज पर भी ऐसा अन्य सुभेदक चिह्न लगाया जाये, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

मतदान की नोटिस–नियम–27–मतदान स्थल और मतदान केन्द्र के बाहर–भीतर सुप्रकट रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगाः–

क– एक नोटिस जिसमें ऐसा मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट होगा जिसके निर्वाचकों को उस मतदान स्थल या मतदान केन्द्र पर यथास्थिति मत देना हो, और

ख– नियम–19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की प्रतिलिपि।

मतदान की गोपनीयता के लिये व्यवस्था–नियम–28– मतदान स्थल पर मतदान कोष्ठों जहाँ पर निर्वाचक अपने मत, औरों की दृष्टि से बचाकर अभिलिखित कर सके, की संख्या उतनी होगी जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझें।

मतदान स्थल पर मतपत्र और अन्य सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाना–नियम – 29– निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा–

क. उतनी मतपेटियॉ जितनी आवश्यक हों,

ख. पर्याप्त संख्या में मतपत्र और उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्र जहॉ के निर्वाचक उस मतदान स्थल पर मत देने के हकदार हों, से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों की प्रतियॉ, और

ग. अन्य सज्जा और उप साधन जो मतदान कराने के लिये अपेक्षित हों।

मतदान के लिये मतपेटियों की तैयारी–नियम–30 (1) मतदान अध्यक्ष, मतदान आरम्भ होने के ठीक पूर्व निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को जो ऐसे स्थल पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक मतपेटी का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और उनको यह दिखलायेगा कि वे खाली हैं।

(2) तत्पश्चात् उपर्युक्त व्यक्तियों की उपस्थिति में मतपेटियॉ बन्द कर दी जायेंगी और जहॉ मतपेटियों की सुरक्षा के लिये कागज की मुहरों का प्रयोग करना आवश्यक हो वहॉ मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के लिये कागज की मुहर पर अपना हस्ताक्षर

करेगा और उस पर ऐसे उम्मीदवारों या उसके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षार लेगा या उनकी मुहरें लगवायेगा, जो उपस्थित हों और उन्हें लगाने के इच्छुक हों।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष ऐसे हस्ताक्षरित या मुहर लगाई हुई कागज की मुहर को मतपेटी में उसके लिये अभिप्रेत स्थान में लगाएगा और तत्पश्चात् उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के सामने, जो उपस्थित हों, ऐसी रीति से प्रत्येक मतपेटी को सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगायेगा कि उसमें मतपत्र डालने के लिये छिद्र खुला रहे।

(4) जहाँ मतपेटियों को सुनिश्चित रूप से बन्द करने के लिये कागज की मुहरों को उपयोग किए जाने की आवश्यकता न हो वहाँ मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी को ऐसी रीति से सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगाएगा कि मतपत्र डालने का छिद्र खुला रहे और उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हों और यदि वे चाहें, अपनी मुहर लगाने की अनुमति देगा।

मतपत्रों को डालने के लिये मतपेटियों का रखा जाना—नियम—31— मतपत्रों को डालने के लिये मतपेटी मतदान अध्यक्ष, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं के सामने रखी जायेगी।

निर्वाचकों की पहचान—नियम—32(1)— मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह निर्वाचकों की पहचान करने में मदद करने या मतदान कराने में अपनी अन्यथा सहायता के लिये उपयुक्त समझें, सेवायोजित कर सकता है।

(2) जैसे ही कोई निर्वाचक मतदान स्थल में प्रवेश करे वैसे ही मतदान अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी निर्वाचक का नाम और अन्य विवरणों की जाँच निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि से करेगा और वह निर्वाचक की क्रम संख्या, नाम और विवरणों को पुकारेगा।

(3) कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता निर्वाचक होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान के प्रति आपत्ति कर सकता है और जब ऐसी आपत्ति की जाये तो मतदान अध्यक्ष उस आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जाँच करेगा और उस प्रयोजन के लिये यह अपेक्षा कर सकेगा कि आपत्तिकर्त्ता अपनी आपत्ति को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे और आपत्तिकृत व्यक्ति भी अपनी पहचान को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे।

(4) यदि ऐसी जाँच के पश्चात् मतदान अध्यक्ष की यह राय हो कि आपत्ति सिद्ध नहीं हुई है तो यह आपत्तिकृत व्यक्ति को मत देने की अनुमति देगा।

(5) मतपत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के अधिकार को निश्चित करने के लिये मतदान अध्यक्ष निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की केवल लिपिकीय या छपाई सम्बन्धी भूल पर ध्यान नहीं देगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका यह समाधान हो जाये कि उक्त प्रविष्टि ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में है।

निर्वाचकों को मतपत्र जारी करना–नियम–33 (1) –किसी मतदाता की पहचान हो जाने के पश्चात् उसे एक मतपत्र दिया जायेगा।

(2) किसी निर्वाचक को मतपत्र देने के समय मतदान अध्यक्ष ऐसी रीति से, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे, उसकी क्रम संख्या, उस प्रयोजन के लिये अलग रखी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में, जिसे एतत्पश्चात् इस नियमावली में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के रूप में उल्लिखित किया गया है, उसे निर्वाचक सम्बन्धी प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखने और मतदान की प्रक्रिया–नियम–34 (1) –प्रत्येक निर्वाचक जिसे इस नियमावली के नियम–33 के या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया हो, केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिये एतत्पश्चात् निर्धारित मतदान की प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) **निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्काल :–**

क. मतदान कोष्ठों में से एक में जायेगा।

ख. वहॉ उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या उसके निकट जिसके लिये वह मतदान करना चाहता है, मतपत्र में उस प्रयोजन के लिये दिए गए उपकरण से चिह्न लगायेगा।

ग. मतपत्र को इस तरह मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाये।

घ. यदि अपेक्षा की जाये तो मतपत्र पर किया गया सुभेदक चिह्न मतदान अध्यक्ष को दिखायेगा।

ड. मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेगा, और

च. मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के मत देगा।

(4) मतदान कोष्ठक में किसी निर्वाचक के मौजूद होने पर किसी अन्य निर्वाचक को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक जिसे मतपत्र दे दिया गया हो, मतदान अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी उपनियम (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करे तो उसे दिये मतपत्र को चाहे उसने उस पर मत अभिलिखित किया हो या नहीं, मतदान अध्यक्ष या मतदान अध्यक्ष के निर्देशाधीन मतदान अधिकारी द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

(6) मतपत्र वापस ले लिये जाने के पश्चात् मतदान अध्यक्ष उसके दूसरी ओर शब्द **"रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन"** अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सभी मतपत्र, जिनपर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित हो, एक पृथक लिफाफे में रखे जायेंगे जिसके ऊपर शब्द "मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" लिखा होगा।

(8) किसी ऐसे शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए ऐसा निर्वाचक जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस लिया गया है, भागी हो, यदि मतपत्र पर कोई मत अभिलिखित किया गया हो तो उसकी गणना नहीं की जायेगी।

अन्धे या अशक्त निर्वाचकों द्वारा मतों का अभिलेख नियम–35 (1) – यदि मतदान अध्यक्ष का यह समाधान हो जाये कि कोई निर्वाचक अन्धेपन या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मतपत्र के प्रतीकों के सहायता के बिना पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को अपने साथ कम से कम अट्ठारह वर्ष का एक साथी उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिये और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र मोड़ने जिससे मत छिप जाये और उसे मतपेटी में डालने के लिये मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगाः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगीः

यह और कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है।

(2) मतदान अध्यक्ष इस विषय के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अध्यक्ष निर्वाचक के अनुरोध करने पर उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र के साथ दिये गये अनुदेशों को स्पष्ट कर देगा।

किसी निर्वाचक द्वारा मतपत्रों का लौटाया जाना–नियम–36 (1) –यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का निश्चय करे तो वह उसे मतदान अध्यक्ष को लौटा देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर शब्द "रद्द किया गयाः लौटाया गया" अंकित किया जायेगा और उक्त प्रयोजन के लिये अलग रखे गए लिफाफे में रखा जायेगा।

(3) यदि किसी निर्वाचक ने असावधानी के कारण अपने मतपत्र को इस प्रकार प्रस्तुत किया हो कि वह मतपत्र के रूप में सुविधा पूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो मतदान अध्यक्ष को मतपत्र लौटाने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर लेने पर उसे दूसरा मतपत्र दिया जा सकता है और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर मतदान अध्यक्ष द्वारा "खराब और रद्द किया गया" अंकित किया जायेगा तथा इस प्रयोजन के लिये अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

मतदान के दौरान, मतदान कोष्ठ में मतदान अध्यक्ष का प्रवेश करना–नियम–37 (1) – यदि मतदान अध्यक्ष को यह सन्देह करने का कारण हो कि कोई निर्वाचक जो मतदान कोष्ठ में गया है, मतदान कोष्ठ में अनावश्यक विलम्ब कर रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकता है और ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो मतदान की निर्विघ्न और त्वरित प्रगति सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो।

(2) जब कभी मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन मतदान कोष्ठ में प्रवेश करे तो उसके साथ निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो प्रवेश करना चाहें, प्रवेश कर सकेंगे।

मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र–नियम–38 –यदि कोई मतपत्र जो किसी निर्वाचक को दिया गया हो, उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाये, और वह मतदान स्थल में या उसके निकट पाया जाये तो उसे रद्द कर दिया जायेगा तथा उसके सम्बन्ध में नियम–36 में निर्धारित रीति से कार्यवाही की जायेगी।

निविदत्त मत नियम–39 (1) –यदि कोई व्यक्ति अपने को यह प्रदर्शित करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है, ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात् मतपत्र के लिये आवेदन करे तो उसे अपनी पहचान के बारे में उन प्रश्नों के संतोषतनक उत्तर देने के पश्चात् जिन्हें मतदान अध्यक्ष पूछे, मतपत्र दिया जायेगा जिसके दूसरी ओर स्वयं मतदान अध्यक्ष शब्द "निविदत्त मतपत्र" लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र की सूची में अपने से सम्बंधित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(3) तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति यथासम्भव नियम–34 के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा, किन्तु अपना मतपत्र मतपेटी में नहीं डालेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा निविदत्त मतपत्र मतदान अध्यक्ष को दिया जायेगा, जो उसे इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से रखे गये एक लिफाफे में तुरन्त रखेगा। ऐसे मतों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।

मतदान के पश्चात् मतपेटियों आदि का मुहरबन्द किया जाना नियम–40 (1) –मतदान समाप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के छिद्र को बन्द कर देगा और जहॉ पेटी में छिद्र को बन्द करने के लिये कोई यान्त्रिक युक्ति नहीं है वहॉ उस छिद्र पर मुहर लगायेगा और किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता को जो उपस्थित हो, उस पर मुहर लगाने की अनुमति देगा।

(2) तत्पश्चात् सभी मतपेटियों पर विनिर्दिष्ट रीति से मुहर लगायी जायेगी और उसे सुनिश्चित रूप से बन्द किया जायेगा।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष निम्नलिखित का अलग–अलग पैकेट बनायेगाः–

क. लिफाफे में निविदत्त मतपत्र

ख. रदद् किये गये मतपत्र

ग. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति

घ. उपयोग में न लाये गये मतपत्र, तथा

ड. ऐसा कोई अन्य पत्र जिसके लिये निर्वाचन अधिकारी ने मुहरबन्द पैकेट में रखने का निदेश दिया हो।

(4) प्रत्येक ऐसे पैकेट पर मतदान अध्यक्ष और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा भी मुहर लगाई जायेगी जो उन पर अपनी मुहर लगाना चाहें।

मतपत्रों का लेखा–नियम–41 –मतदान अध्यक्ष मतदान के बन्द होने पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतपत्रों का लेखा तैयार करेगा।

मतपेटियों आदि का निर्वाचन अधिकारी को प्रेषण–नियम–42– नियम–40 के अनुसार मतपेटियों और पेकेटों को मुहरबन्द कर दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मतदान अध्यक्ष निर्वाचन अधिकारी को उसके द्वारा निर्देशित स्थान पर,

क. मतपेटियां

ख. नियम–40 में निर्दिष्ट पैकेट

ग. मतपत्र लेखा, और

घ. मतदान में उपयोग में लाये गये सभी अन्य प्रपत्र भेजेगा या भेजवायेगा।

मतपेटियों और पैकेटों का परिवहन और उनकी अभिरक्षा–नियम–43– निर्वाचन अधिकारी नियम–42 में निर्दिष्ट सभी मतपेटियों, पैकेटों और अन्य प्रपत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिये और मतों की गणना के प्रारम्भ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उचित प्रबन्ध करेगा।

आपात स्थिति में मतदान का स्थगन–नियम–44–(1) यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी बल्वे या हिंसा के कारण बाधा पड़ जाय या किसी प्राकृतिक आपात के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव न हो तो ऐसे मतदान स्थल का मतदान अध्यक्ष किसी ऐसे दिनांक तक जो बाद में अधिसूचित किया जायेगा, मतदान स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा और जहॉ मतदान इस प्रकार स्थगित किया जाये, मतदान अध्यक्ष इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त देगा।

(2) जब कभी उपनियम (1) के अधीन मतदान स्थगित किया जाये तो निर्वाचन अधिकारी उन परिस्थितियों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त देगा और उसके पूर्वानुमोदन से यथाशक्य शीघ्र नया मतदान कराने के लिये कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहॉ पर तथा समय जिसके दौरान नया मतदान कराया जायेगा, निश्चित करेगा और उसे उसी रीति से अधिसूचित करेगा जैसा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(3) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामले में मतदान अध्यक्ष पुनः नया मतदान करायेगा और इस नियमावली के उपबन्ध नये मतदान के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार के मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

मतपेटियों के नष्ट आदि कर दिये जाने आदि की दशा में नया मतदान–नियम– 45 (1) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी या किसी मतदान अध्यक्ष की अभिरक्षा से कोई मतपेटी अवैध रूप से निकाल ली जाये या किसी प्रकार से दुर्घटनावश या जानबूझकर नष्ट कर दी जाये या खो जाये तो ऐसे मतदान स्थल जहॉ पर वह मतपेटी हो, के सम्बन्ध में मतदान अमान्य होगा।

(2) जब कभी मतदान उप नियम (1) के अधीन अमान्य हो जाए तो निर्वाचन अधिकारी ऐसा कार्य या ऐसी घटना की जिसके कारण हिंसा हुई हो, जानकारी होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र उक्त मामले की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसके पूर्वानुमोदन से नये मतदान कराने के लिये कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहॉ पर और वह समय जिसके दौरान मतदान कराया जायेगा, निश्चित करेगा और उसे ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(3) उपर्युक्त प्रत्येक मामले में मतदान अध्यक्ष नया मतदान करायेगा और इस अध्याय के उपबन्ध नये मतदान के सम्बन्ध में उस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हों।

25. **शास्तियॉ–नियम–61–** कोई व्यक्ति जो–

क. नियमों का उल्लंघन करके निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन या गड़बड़ करता हैः या

ख. इस नियमावली के प्रयोजनों के लिये नियुक्त या सेवायोजित किसी अधिकारी या सेवक को उसके कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले या हस्तक्षेप करेः या

ग. किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर चिपकाये गये या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को विरूपित करे, क्षति पहुँचाये, उलट–पलट करे या हटाये, तो वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पॉच सौ रूपये तक हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली,1994 के अन्तर्गत शास्तियॉः–

26– **शास्तियॉ–नियम–60–** कोई व्यक्ति जो–

क. नियमों का उल्लंघन करके निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन या गड़बड़ करता हैः या

ख. इस नियमावली के प्रयोजनों के लिये नियुक्त या सेवायोजित किसी अधिकारी या सेवक को उसके कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले या हस्तक्षेप करेः या

ग. किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर चिपकाये गये या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को विरूपित करे, क्षति पहुँचाये, उलट–पलट करे या हटाये, तो वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा।